राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] चौदहवीं विधान सभा के पांचवे सत्र का सातवां दिवस [संख्या : 5

मंगलवार,

22 सितम्बर, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)
(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। आज इधर से शुरू करूं? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। यथावत् यथावत्। (व्यवधान) प्रश्नकाल। श्री बाबू सिंह। श्री बाबू सिंह। (व्यवधान) श्री बाबू सिंह। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

प्रदेश में कैब सर्विस संचालन हेतु रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता

64. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में दिन-प्रतिदिन कैब सर्विसेज का चलन बढ़ता जा रहा है? यदि हां, तो जोधपुर जिले में कुल कितनी कैब सर्विसेज निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संचालित की जा रही हैं?

(2) क्या सम्बन्धित जिले के परिवहन कार्यालय में उक्त कैब सर्विस देने वाली संस्था द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में कैब में सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण एवं अन्य वारदात जैसे प्रकरण प्रकाश में आये हैं? यदि हां, तो कब एवं कहां-कहां तथा आरोपियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त कैब सर्विसेज में यात्रा करने वाले यात्रियों की

(श्री बाबू सिंह)

सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त कैब सर्विसेज संचालन हेतु रजिस्ट्रेशन एवं कोई मानदण्ड तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जी हां। यह सही है कि दिन-प्रतिदिन कैब सर्विसेज का चलन बढ़ता जा रहा है। जोधपुर में जिन कैब संचालकों द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 93 एवं राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5.73 के तहत अनिवार्य लाइसेंस नहीं लिया गया है, ऐसी ''एप-बेस्ड'' कैब सर्विसेज के संचालकों को जिनमें मुख्य रूप से ओला कैब, मेरु कैब एवं टैक्सी फार श्योर हैं, को एजेंट लाइसेंस प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। नोटिस की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल चल रहा है। प्रश्नकाल चल रहा है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): (2) जी हां। कैब सर्विसेज देने वाली कम्पनी/संस्था के द्वारा केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 93 एवं राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5.73 के अन्तर्गत एजेंट लाइसेंस लिया जाना आवश्यक है।

(3) जी हां। जोधपुर के बनाड़ व सरदारपुरा थाना क्षेत्र में उक्त प्रकार के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। प्रकरणों में पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालक की चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) निरस्त एवं वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित कर दिये गये हैं जिनकी छाया प्रति परिशिष्ट-3 व 4 पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल चल रहा है। प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के अलावा कोई बात अंकित नहीं होगी। प्रश्नकाल चल रहा है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): (4) जी हां। सरकार समस्त यात्री परिवहन यानों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। इस

(श्री युनुस खान)

हेतु दिनांक 31.08.2015 को जारी अधिसूचना के द्वारा यात्री परिवहन के उपयोग में लाये जाने वाले संविदा वाहनों के अनुज्ञा पत्र हेतु अतिरिक्त शर्तें जोड़ी गयी हैं जैसे कि जी.पी.एस., खिड़कियों पर फिल्म या पर्दे न लगाया जाना, यान में पर्याप्त सफेद रोशनी की व्यवस्था, ड्राइवर व वाहन स्वामी के नाम-पते, फोन/मोबाइल नम्बर, परिवहन-पुलिस विभाग के हैल्पलाइन नम्बर आदि यान में प्रदर्शित किया जाना मुख्य हैं। अधिसूचना की छाया प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5.73 में कैब संचालन हेतु एजेंट लाइसेंस के प्रावधान पूर्व में ही विद्यमान हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार प्रदेश में कैब सर्विसेज द्वारा अनिवार्य लाइसेंस लिये बिना अवैध संचालन को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां तो किस प्रकार, स्पष्ट करें। या केवल नोटिस देकर ही इतिश्री करना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी। आप बोलिये, बोलिये। (व्यवधान) बैठिये, बैठिये। बैठिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, टैक्सी सर्विसेज के खिलाफ सिर्फ नोटिस ही नहीं दिया, इस तरीके की घटनाएं चाहे दिल्ली हो या देश और प्रदेश की अन्य जगहों पर हों, बार-बार पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए राज्य सरकार सचेत है और राज्य सरकार ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। सम्बन्धित जो टैक्सी ड्राइवर है, उसके लाइसेंस का निलम्बन किया गया है और टैक्सी के रजिस्ट्रेशन का भी निलम्बन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सचेत है और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार टैक्सीज में इस तरह की बातों की

(श्री युनुस खान)

पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए काम करेगी और हम नये नियम बनाकर उनको बांधेंगे। राजस्थान में इस तरीके की घटनाएं नहीं हों, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसमें मुख्य रूप से तीन आरोपित हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसी तरीके से और कोई भी काम करेगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। (व्यवधान)

(श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य का अध्यक्ष महोदय के डायस तक आगमन)

श्री अध्यक्षः आप नीचे जाइये। नहीं, आप नीचे जाइये। आप नीचे जाइये। कृपया नीचे जाइये। मुझे सख्त होना पड़ेगा। (व्यवधान) आप नीचे जाइये। आप नीचे जाइये। आप नीचे जाइये। आप नीचे जाइये। प्लीज, आप नीचे जाइये। आप नीचे जाइये। आप नीचे जाइये। क्या मजाक है यह? मैं अभी आदेश दूंगा। (व्यवधान) क्या मजाक है यह? (व्यवधान) पूरक प्रश्न दो।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह कैब सर्विस बिना लाइसेंस के अभी चल रही है या बंद हो गयी है? कैब सर्विसेज के अभी जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिये हैं, वे चल रही हैं या उनको रोक दिया गया है? एक तो यह है। कैब सर्विसेज लाइसेंस लिये बगैर चल रही हैं, उनको रोक दिया गया है? अभी चल रही हैं या रोक दी गयी हैं?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसके अभी रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया है और अब उसका पुनरवलोकन करके नये नियम लागू करके, कोई अपनी गाड़ी में फिल्म नहीं लगाए, ड्राइवर का सत्यापन करना और इन सब बातों को सरकार सुनिश्चित करेगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय और परिवहन विभाग दोनों सावचेती के साथ काम करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री जोगाराम पटेल। अच्छा जवाब आना है? माननीय मंत्री महोदय, पूरक प्रश्न का इनका जवाब आ जाए, एक मिनट।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार कैब सर्विसेज में हो रही अवांछनीय गतिविधियों, दुष्कर्म, अपहरण एवं अन्य वारदातों के लिए कैब सर्विसेज के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और क्या कार्रवाई की गयी, स्पष्ट करें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री युनुस खान)

इस तरीके की टैक्सी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम एक महीने में पूरे राजस्थान से रिपोर्ट मंगाकर जो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

श्री अध्यक्षः श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में एक ही परमिट पर, एक ही लाइसेंस पर एक से अधिक वाहन, बसें अवैध रूप से चल रही हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? दूसरा, जो ओवरलोड ट्रकें शराबी शराब पीकर चला रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखते हैं या नहीं?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक परमिट पर एक से अधिक वाहन का अगर संचालन करता कोई भी पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हम अभी अभियान चला रहे हैं, उस अभियान के दौरान सरकार यह देखेगी कि इस तरीके के कोई भी वाहन संचालित नहीं हों। उसके लिए सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी और माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, उस पर शीघ्र एक महीने में हम कार्रवाई करेंगे। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्षः श्री शंकरसिंह राजपुरोहित। सवाल कीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य को सवाल पूछने दीजिये। आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। (व्यवधान) एक मिनट बाकी है। एक मिनट बाकी है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ये जो कैब टैक्सियां चल रही हैं, जिनको सरकारी मानदण्डों के पूरा न करते हुए भी आपके अधिकारी ने परमिशन दी है, उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करोगे या नहीं करोगे? आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दोगे, उससे मतलब नहीं है। आपके जो मापदण्ड हैं उन मापदण्डों को पूरा नहीं किया है, उसके बावजूद भी अनदेखा करके आपके अधिकारियों ने जो परमिशन दी है, उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करोगे कि नहीं करोगे, इस बात का आप जवाब दो।

श्री अध्यक्षः अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी व्यक्ति अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाता है, उस समय उस वाहन मालिक की कैसी प्रवृत्ति है, किस तरह से अपराध प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके खिलाफ कितने मुकदमे हैं। यह पता नहीं चलता है। यहां हाउस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं और वे यहां घूम रहे हैं खुली प्रवृत्ति से। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में इस तरीके का ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी से भी कहूंगा, इस प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिनके खिलाफ इस तरीके के मुकदमे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब हम उस ड्राइवर के बारे में पूरा ध्यान रखेंगे। आप सबको पता है कि भ्रष्टाचार की जननी हमेशा कांग्रेस रही है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री जयराम जाटव। जयराम जाटव, पूरक प्रश्न करेंगे।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्षजी, जो मंत्रीजी ने जवाब दिया है, उससे सारे लोग संतुष्ट हैं और हम संतुष्ट हैं। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): करेंगे, चिंता मत करो। चिंता मत करो। आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। (व्यवधान) आपके जो 18 मुकदमे हैं, उनमें सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये किस तरह का आचरण कर रहे हैं? यह क्या आचरण कर रहे हैं ये? यह क्या बात हो गयी, अध्यक्ष महोदय, ये किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं? (व्यवधान) यह क्या हो रहा है? (व्यवधान)

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों का एक साथ खड़े होकर हंगामा)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.10 बजे, 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(12.30 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। राम-राम सा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसकी अनुमति से बोल रहे हैं ये?

श्री अध्यक्ष: मेरी बिना अनुमति के मत बोलिये। मैंने अनुमति नहीं दी है, रिकार्ड नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिल पर जब बहस हो तब बोल लेना आप।

श्री अध्यक्ष: मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं इधर से, रिकार्ड नहीं होगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं। श्री रामप्रताप।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

जल संसाधन विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या एफ7(9)ओएसडी/एसडब्ल्यूआरपी/14-1 दिनांक 11.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना अधिनियम 2015 प्रवृत्त किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या एफ7(9)ओएसडी/एसडब्ल्यूआरपी/14-2 दिनांक 11.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद का गठन किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या एफ7(9)ओएसडी/एसडब्ल्यूआरपी/14-3 दिनांक 11.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
4. अधिसूचना संख्या एफ7(9)ओएसडी/एसडब्ल्यूआरपी/14-4 दिनांक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

11.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण के सभापति की नियुक्ति की गई है।

5. अधिसूचना संख्या एफ7(9)ओएसडी/एसडब्ल्यूआरपी/14-5 दिनांक 11.5.2015 जिसके द्वारा सचिव, जल संसाधन और राज्य जल संसाधन योजना विभाग को राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का पदेन आयुक्त नियुक्त किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या एफ13/आरआरबी एण्ड डब्ल्यूआरपीए/2015-1 दिनांक 6.8.2015 जिसके द्वारा राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण नियम 2015 विरचित किये गये हैं।

7. अधिसूचना संख्या एफ13/आरआरबी एण्ड डब्ल्यूआरपीए/2015-2 दिनांक 21.8.2015 जिसके द्वारा शुद्धि-पत्र जारी किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री युनुस खान।

परिवहन विभाग

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधिसूचना संख्या-प6(75)परि/कर/मु.08/18094 दिनांक 14.9.2015 जिसके द्वारा दिनांक 15.9.2015 से 28.9.2015 तक की अवधि में अन्य राज्यों से रामदेवरा आने-जाने वाले यात्री वाहनों के लिए कर में सशर्त छूट प्रदान की गयी है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व शोरगुल)

श्री अध्यक्ष: प्रतिवेदन। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :-

पंचम राज्य वित्त आयोग का अंतरिम प्रतिवेदन

(वर्ष 2015-16)

1. वर्ष 2015-16 के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग राजस्थान का अंतरिम प्रतिवेदन एवं उस पर की गई कार्यवाही विवरण का ज्ञापन;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र)

(वर्ष 2013-14)

2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र); एवं

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय)

(वर्ष 2013-14)

3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय)।

श्री अध्यक्ष: श्री अरुण चतुर्वेदी।

आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का प्रतिवेदन

वर्ष 2014-15

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 65 के अन्तर्गत आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का

प्रतिवेदन वर्ष 2013-14

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालू लाल गुर्जर।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम सं. 20)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक 21 सितम्बर, 2015 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने 19वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 एवं गुरुवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 को सदन में लिए जाने वाले कार्य के साथ अब मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

(1) राज्य में सूखे एवं बिजली की स्थिति पर विचार।

(2) राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015;

(3) राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015;

(4) राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015; एवं

(5) राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015;

-पर विचार एवं पारण।

(6) राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित कराये जाने हेतु शासकीय संकल्प; एवं

(7) राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु शासकीय संकल्प;

- पर विचार एवं पारण।

(8) अनुपूरक अनुदान की मांगों वर्ष 2015-16 (प्रथम संकलन) का मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्सम्बन्धी राजस्थान विनियोग संख्या-5 विधेयक, 2015 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में सूखे एवं बिजली की स्थिति पर विचार

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः आप बोलेंगे, गुलाब चन्दजी?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): पहले बोलना चाहें तो बोलें, फिर मैं जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्षः कोई बोलने वाला नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वो बोल रहे हैं, साहब।

श्री अध्यक्षः हां, आप बोलिये। पहले रामहेत सिंहजी बोल रहे हैं, फिर आप। आप बोलिये।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व शोरगुल जारी)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में सूखे की स्थिति पर हमें विचार करना चाहिए। विपक्ष के लोगों को भी अपने क्षेत्र के लोगों की चिन्ता करनी चाहिए। आज राजस्थान में सूखे के हालात बने हैं उन पर चिन्ता करना और चर्चा करना हमारा धर्म बनता है। विपक्ष के लोग बेवजह हंगामा करके उस बात को गुमराह करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम

(श्री अभिषेक मटोरिया)

से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार सूखे के हालात राजस्थान में उत्पन्न हुए हैं, उनसे निपटने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। आपदा और राहत प्रबन्धन तैयार है, परन्तु उससे पहले पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले और तहसील में पूरा सर्वे करवा कर गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करवा कर कि कहां-कहां कितना सूखा पडा, क्या-क्या नुकसान किसानों को हुआ, क्या-क्या नुकसान जमींदारों को हुआ, कितनी बारिश हर साल के मुकाबले औसतन कम हुई, हमें इस पर गंभीर रूप से चर्चा करनी चाहिए। मेरे गृह जिले हनुमानगढ़ में और मेरे विधान सभा क्षेत्र नोहर में भी भयंकर रूप से सूखे की चपेट में बहुत सारे किसान आये हैं। इतनी बारिश पिछले सात साल से...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा के ऊपर आप सभी सदस्यों को समय दें उसके पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार सूखे के ऊपर पूर्ण रूप से विचार करे। गिरदावरी रिपोर्ट आने के बाद सूखे के प्रबन्धन के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम और कायदे बनाये हैं, वो पूर्ण रूप से राजस्थान की जनता के लाभ में बने। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी। पांच मिनट सिर्फ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की हमारी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने पूर्व में भी जब राजस्थान में ओलावृष्टि हुई थी तो पूरे राजस्थान के खेतों का सर्वे करवाकर उनको मुआवजा दिया था। आज वापस राजस्थान के हालात वैसे ही प्रतीत हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की जनता हमारी मुख्य मंत्रीजी की तरफ देख रही है। जिस तरह की स्थिति राजस्थान की है, मैं समझता हूं कि विपक्ष को शर्म आनी चाहिए इस बात की कि एक तरफ राजस्थान में सूखा पड़ रहा है और ये चिल्ला-चिल्ला कर राजस्थान के किसानों का नुकसान कर रहे हैं। इससे बड़ा नुकसान हमारे लिए हो नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष में अगर ताकत हो तो एक बार चर्चा करे सूखे पर। राजस्थान की जनता आज इस बात की आशा लगाकर बैठी है कि राजस्थान की मुख्य मंत्री किसानों की सुनवाई करेंगी और हमारे को मुआवजा मिलेगा। पिछले दिनों थोड़ी

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

अच्छी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद लगातार बारिश नहीं होने की वजह से और बिजली की कमी की वजह से निश्चित रूप से राजस्थान के हालात बड़े खराब हुए। मैं इस अवसर पर हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ओलावृष्टि और सूखे के मामले में 50 परसेंट का जो मापदण्ड था, उसको 33 परसेंट किया। मुख्य मंत्रीजी ने भी किया, लेकिन उसका फायदा तभी मिल सकता है जब राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को हम सब मिलकर निवेदन करें और विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर इसके बारे में चर्चा करें। मैं माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया जो हमारे आपदा मंत्री हैं, राजेन्द्रजी राठौड़ साहब, इनसे भी निवेदन करूंगा कि आप इस बात पर विचार करें और राजस्थान के काश्तकार जो अभी बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनको मुआवजा दिलवावें ताकि उनको राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री रामहेत सिंह।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री और हमारे अकाल राहत मंत्रीजी आदरणीय गुलाब चन्दजी कटारिया का आभारी हूं, जब भी किसान पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बड़ा हृदय करके, सदन में सब विधायकों की राय लेकर जनहित और किसान हित के निर्णय लिये जाते हैं। पहले ओलावृष्टि हुई, राजस्थान के इतिहास का पहला अवसर था जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रश्नकाल को भी स्थगित कराकर आग्रह किया कि सभी विधायकों की राय आए। सब विधायकों को कहा कि अपने क्षेत्र में जाएं, जनता के बीच में रहें, अधिकारियों को साथ ले जाएं। ओलावृष्टि में जो नुकसान हुआ है, उसको सरकार गम्भीरता से लेती है। उसका परिणाम हुआ कि राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने इतना बड़ा पैकेज ओलावृष्टि पर दिया। मैं आज पुन: धन्यवाद देता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए, आपका बिन्दु आ गया।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): ...(व्यवधान) अकाल के समय सदन में चर्चा के लिये रखा है, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस अकाल की स्थिति में सर्वे करवाकर किसानों का जो नुकसान हुआ है इसके बारे में विचार करें। वास्तव में किसान पीड़ित है, उसको

(श्री रामहेत सिंह यादव)

इस कल्याणकारी सरकार की तरफ से लाभ, सहयोग प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए, चौधरीजी, बोलो। (व्यवधान) केसारामजी, आप बैठो। आप भी बैठो, वह बोल रहे हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। आज पूरे राजस्थान में जो सूखा पड़ा हुआ है, उसकी वजह से सिर्फ पशुधन दुःखी है। हमारी सरकार पूरी व्यवस्था करने जा रही है फिर भी आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि विपक्ष के लोग सदन को भ्रमित करना चाहते हैं। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने जाती है, उस प्रकार ये लोग भ्रमित कर रहे हैं। इनको पूरा राजस्थान देख रहा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): भ्रष्टाचारी दूसरों के ऊपर अंगुली उठाने से पहले...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, बैठिए। केसारामजी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में अकाल के ऊपर चर्चा हो रही है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। बेमौसम बरसात और अतिवृष्टि में जिस तरह से राजस्थान सरकार ने रिपोर्टें भेजीं, उसके कारण से किसानों को जो फायदा हुआ है, मैं सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। माननीय आपदा प्रबंधन मंत्रीजी, मुख्य बिन्दु आ चुके हैं, अब आप अपना स्टेटमेंट दीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंध के तहत आपके सामने, वास्तव में इस वर्ष जो बारिश हुई है वह सामान्य से भी अधिक हुई है लेकिन 15 अगस्त के बाद बारिश का एक गैप हुआ और गैप होने के कारण से फसलों में नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन करने के लिये हमने इसी महीने की, सितम्बर की 16 तारीख को गिरदावरी के लिये स्वीकृति दे दी। 15 अक्टूबर तक गिरदावरी के सारे आंकड़े आने के बाद किसान को जहां भी जिस प्रकार का भी नुकसान हुआ, उसकी हम भरपाई करेंगे। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जिनमें सामान्य से भी बहुत अधिक बारिश हुई है, जैसलमेर और जालौर।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

राजस्थान में 6 जिले ऐसे हैं जिनमें सामान्य से अधिक बारिश हुई है, उसमें बीकानेर है, चूरू है, जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली और झालावाड हैं। 16 जिले ऐसे हैं जो सामान्य वर्षा के आंकड़ों में आते हैं, जो उनका एवरेज है उतनी वहां वर्षा हो गयी है, उसमें गंगानगर, हनुमानगढ, सिरोही, अजमेर, नागौर, टोंक, झुंझुनूं, सीकर, कोटा, बारां, बूंदी, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर और राजसमंद हैं। 9 जिले ऐसे हैं जिनमें सामान्य से भी कम वर्षा हुई है, वे जिले हैं भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ, जयपुर, अलवर और दौसा। लेकिन 15 अगस्त के बाद वर्षा नहीं होने के कारण से निश्चित रूप से फसलों का नुकसान हुआ है और नुकसान के लिये हमने गिरदावरी के आदेश दे दिये हैं। जैसे ही गिरदावरी की रिपोर्ट आएगी, आप सभी माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे यह प्रसन्नता है कि पिछली बार हमने इसी हाउस में आपको कहा था कि हम अपने नार्म्स को बदलने के लिये केन्द्र सरकार से आग्रह करेंगे। पहले 50 प्रतिशत से अधिक खराबे पर ही किसान को आपदा राहत का लाभ मिलता था लेकिन अब सरकार के नार्म्स बदल जाने के कारण से 33 परसेंट से कम खराबा होने तक भी किसान को सभी प्रकार की राहत मिलेगी। मुझे आज यह कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान के 50-60 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा कि राज्य सरकार ने अपनी राशि से और केन्द्र के सहयोग से 2400 करोड़ रुपया ओनलाइन डिस्ट्रीब्यूट किया है। राजस्थान में शायद यह पहली बार होगा कि 2400 करोड़ रुपया ओनलाइन डिस्ट्रीब्यूट किया है और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी है। कुछ जगह से अब यह आया है कि हमको यह नहीं मिला है। मैं उनको भी दिखवा रहा हूं और आश्वस्त करता हूं कि अगर वे नियमों के तहत आएंगे तो उनको भी जो राहत है वह निश्चित रूप से मिलेगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बार की बारिश से हमारे जो अधिकांश तालाब हैं, वे भराव क्षमता से अधिक हैं। मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान के जितने भी बड़े बांध हैं, वृहत् योजनाएं हैं उनमें 82 परसेंट पानी आज की तारीख में भरा हुआ है। 4.2 एमसीएफटी पानी है उसमें भराव क्षमता 51 प्रतिशत है और 4.25 से कम भराव क्षमता जो मैट्रिक क्यूबिक फीट है, उनमें हमारी 44 परसेंट भराव क्षमता है। राजस्थान एज ए होल लेवें तो हमारे तालाबों में जो पानी है, अब तक 70 परसेंट पानी हमारे पास आ चुका है और इसके कारण से पीने के पानी की समस्या केवल कुछ जिलों को छोड़कर बाकी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जिलों में रहने वाली नहीं है। अबकी बार आपने देखा होगा कि पशुओं के शिविर लगाने के बारे में आपदा प्रबंधन के तहत गौशालाओं को जो अनुदान देना है, वह हमने दिया है। अभी भी कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं कि हमें गौशाला का पैसा नहीं मिला, मैं उन सारे केसेज को दिखवा रहा हूं। अगर वे हमारी सीमा में आएंगे, समय पर हुए हैं तो निश्चित रूप से मिलेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हमारे कांग्रेस के सदस्यों को...

श्री अध्यक्षः आप बोलो, बोलो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): जिनको भाग लेना चाहिये, सूखे और बिजली पर उनका जिस तरह का व्यवहार है, ऐसा लगता है कि सदन में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत, हमारी मुख्य मंत्रीजी की इच्छा थी, 100 से कम आबादी वाले गांवों और ढाणी के लिये केन्द्र सरकार के साथ मिलकर हमने 2819 करोड रुपये स्वीकृत कराये। आने वाले साल, डेढ़ साल में इसकी बिडिंग करके हम 100 से कम आबादी वाले गांव और ढाणी को भी बहुत जल्दी विद्युतीकृत करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय का 12 और 13वां फेज है, इसमें पूरे राजस्थान में मिलकर बीपीएल और एपीएल के लगभग 25 लाख से ज्यादा कनेक्शन आने वाले समय में हम आम उपभोक्ता को देंगे। बिजली के जो कृषि कनेक्शन हैं, हमने लगभग 38169 कनेक्शन की डिमांड जारी की है, 39971 के डिमांड जमा हुए, मैं सदन को विश्वास देता हूं कि राजस्थान में जनरल कैटेगरी के जो बचे हुए कृषि कनेक्शन हैं, 15 नवम्बर से पहले पहले सभी किसानों को हम बिजली के कनेक्शन जारी करा देंगे। इसके साथ-साथ जो हमारे ड्रिप और स्प्रिंकलर कनेक्शन हैं, उसमें 44 हजार किसानों ने डिमांड भरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 38 हजार कनेक्शन हमने जारी कर दिये, कनेक्शन भी हो गये। मात्र पांच हजार कनेक्शन बाकी हैं, उसको भी हम एक महीने के अन्दर पूरा कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1 नवम्बर से साढ़े छह घंटे और सात घंटे का ब्लाक हम वापस किसानों के लिए शुरू कर देंगे ताकि किसानों को बिजली की किसी प्रकार की कमी न रहे।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक- राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015, श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधायी कार्य :विधेयक पर विचार

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 व 3-कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए।

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि, स्वीकार किया जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि- स्वीकार किया गया।

आप पारित करने के लिए रिक्वैस्ट कीजिए, राजेंद्र राठौड़जी।

विधेयक का पारण

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015, जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्यों,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कारणों और कथन में स्पष्ट किया गया है, राज्य की विधिक प्रणाली को आमजन हेतु पहुंच योग्य बनाने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए वर्तमान प्रचलित कानूनों में पुराने कानूनों का अध्ययन करके ऐसे कानून जो अनावश्यक हो गये, अनुपयोगी हो गये या जिनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गयी। अध्यक्ष महोदय, ऐसे एक दो कानून नहीं। राजस्थान में पहली बार हुआ है कि माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इस राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015 के माध्यम से 248 कानूनों को रिपील करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, इनमें से 187 संशोधन अधिनियम हैं। 187 इन संशोधन अधिनियमों में जो प्रासंगिकता नहीं रखते थे, उनको रिपील करने का काम किया है। मूल अधिनियम जो अनुपयोगी हो गये थे, उनको भी इसी राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015 के माध्यम से रिपील करने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, स्वराज संकल्प यात्रा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि राजस्थान के आम आवाम को सस्ता, सुन्दर और सुलभ न्याय दिलाएं। कानून का मकड़जाल बन गया था, जो कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुके थे, उनको रिपील करने का काम किया है। 26 विभाग हैं, अध्यक्ष महोदय, इसमें और 187 संशोधन अधिनियम हैं। राजस्थान में कुल 412 कानून हैं, उनमें 41 मूल अधिनियमों को रिपील करने का काम किया है। राजस्थान जनरल प्रोविजन एक्ट में सैक्शन 7 में इस प्रकार का प्रावधान है कि अमैंडमेंट एक्ट जब मूल एक्ट का हिस्सा बन जाते हैं तो ये प्रासंगिक नहीं रहते। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत अच्छा काम हुआ राजस्थान के इतिहास में। पूरे कानून के मकड़जाल में राजस्थान के आम अवाम को सस्ता, सुन्दर और सुलभ न्याय मिले, उस ओर उठाया गया यह ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले 1997 में स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने एक दवे कमीशन बनाया था, उसमें 303 अमैंडमेंट कानूनों को रिपील किया गया था। 1997 के बाद यह पहला मौका है जब माननीय मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान राजस्थान के आम आवाम को कहा था कि हम सस्ता न्याय दिलाएंगे, उस ओर उठाया गया यह मजबूत कदम है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

श्री राजेंद्र राठौड़।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 14-कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 14 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 14 स्वीकार किये गये।

खंड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि, स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ प्रस्ताव करेंगे पारित करने का।

विधेयक का पारण

राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015 विचारार्थ है। प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्य व कारणों में स्पष्ट है, भारतीय

(श्री राजेन्द्र राठौड)

चिकित्सा पद्धति विशेष तौर पर योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में योग और प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में जो योग्यताधारी चिकित्सक हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, उनकी सेवाओं को रैगुलेट करने के लिए तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को कानूनी संरक्षण देने के लिए यह ऐतिहासिक विधेयक आज सदन के सामने विचारार्थ है। अध्यक्ष महोदय, अब वो समय आ गया जब पूरी दुनिया प्राकृतिक चिकित्सा और योग की ओर आकर्षित हो रही है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं, 21 जून, 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी की अगुवाई में दुनिया के 176 देशों में दो अरब से ज्यादा लोगों ने एक दिन योगाभ्यास करके अपने आपको योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जोड़ने को काम किया था। अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान इंडियन मेडिसिन एक्ट, 1953 है यह उस वक्त बना जब हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य में इस प्रकार का कानून नहीं था। इसमें एक बार 1956 में संशोधन हुआ। उसके बाद यह पहली बार है जब प्राकृतिक चिकित्सा और योग में जो योग्यताधारी चिकित्सक हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, उनकी सेवाओं को रैगुलेट करने के लिए सैक्शन 3(1), 6(1), 20(1), 23(1), 31(1), 32(1), 35(1), 38(1), 47(4), 51(3), 52 और 54(2) में संशोधन सरकार लेकर आयी है। अध्यक्ष महोदय, अब डब्ल्यू.एच.ओ. भी इसकी चिंता कर रहा है कि लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ती जा रही हैं। इन सब के लिए आज पूरी दुनिया हिन्दुस्तान की ओर देख रही है। राजस्थान चिकित्सा और देशी सेवाओं की दृष्टि से हब बना है ट्यूरिस्ट का। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार इस प्रकार का संशोधन लाकर पूरे देश के अन्दर इसकी अगुवाई की है। राजस्थान के अन्दर प्राकृतिक चिकित्सा और योग की सम्भावनाएं हैं। आज, अध्यक्ष महोदय, 33 योग और प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र चल रहे हैं, दो सरकारी प्राकृतिक चिकित्सालय चल रहे हैं, एक योग केन्द्र चल रहा है। जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर एक साल का डिप्लोमा कोर्स योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रारम्भ हो गया। पंचकर्म में प्रारम्भ हो गया। मैं कह सकता हूं कि इस अमैंडमेंट के साथ ही राजस्थान के अन्दर प्राकृतिक चिकित्सा और योग के संवर्द्धन के लिए एक ऐतिहासिक कदम प्रारम्भ होगा। ये एक बहुत ही अच्छा, प्रगतिशील और दुनिया जिस पद्धति की ओर बढ़ रही है, उसके लिए लाया गया अमैंडमेंट है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 श्री गुलाबचन्द कटारिया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(13.00 बजे)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 - प्रश्न यह है कि खण्ड दो स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड दो स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 से 9-कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 से 9 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 3 से 9 स्वीकार किये गये।

खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र नाम, आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

गुलाबचन्द कटारिया प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण

विधेयक, 2015

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, शिक्षण संस्थाओं में और राजकीय सेवाओं में विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण के सम्बन्ध में लम्बे समय से विचार चल रहा था। उसको ध्यान में रखकर जिसको न्यायालय ने अपने सामने रखा था। भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति-जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था आजादी के पश्चात से ही प्रभाव में है। बाद के वर्षों में पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण का प्रावधान केन्द्र और राज्य सरकार के स्तर पर किया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

पिछड़े वर्ग में राज्य की कुछ ऐसी घुमन्तू जातियां भी शामिल हैं जो समाज की मुख्य धारा से पूरी तरह कटी हुई हैं और जिनका जीवन निर्वाह पूर्णतः पशुपालन पर निर्भर है और जो अत्यन्त पिछड़ी हुई हैं। ये जातियां अपने निवास की अस्थाई प्रकृति और घुमन्तू जीवन होने के कारण राजकीय योजना और आरक्षण के प्रावधान का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं आ सकीं। इन जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और राजकीय योजना का लाभ पहुंचाने के प्रयोजन से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 7.6.2007 को चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया। जिसके व्यापक विचार विमर्श और परीक्षण के बाद अध्ययन के आधार पर 15.12.2007 को एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी। अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने प्राप्त ज्ञापनों, सुनवाई, मौका निरीक्षण और साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस विषय से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सम्बन्धित विभिन्न निर्णयों का भी ध्यान रखा। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में गुर्जर आदि विभिन्न घुमन्तू जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने से पूर्व एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करने का सुझाव दिया। वहीं इन जातियों से जुडे इलाकों के लोक कल्याण और विकास के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। राज्य सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन कर वर्ष 2008 में राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2008 पारित किया। वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण विशेष पिछड़े वर्ग में से पांच प्रतिशत आरक्षण अभी तक लागू नहीं हो पाया। इस कारण 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर ही एक प्रतिशत आरक्षण वर्तमान में प्रदान किया गया। बाद में उच्च न्यायालय के 22.12.2010 के आदेश की पालना में क्वांटीफाइड़ डेटा उपलब्ध कराने, इस आधार पर उचित सिफारिश प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जून, 2012 में न्यायमूर्ति इसरानी आयोग का गठन किया गया जिसने व्यापक अध्ययन और विचार विमर्श के बाद नवम्बर, 2012 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। आयोग की सिफारिशों में पांच जातियां अर्थात् बंजारा / बालदिया/लबाना, गाड़िया लोहार/गाडोलिया, गुर्जर, राइका/रैबारी/देबासी, गारड़ी/गायकी को विशेष पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता देने और इस रूप में पृथक् से पांच प्रतिशत आरक्षण विशेष तौर पर दिये जाने की सिफारिश भी शामिल थी। इन सिफारिशों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए पांच प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछड़ा वर्ग के रूप में इन पांचों जातियों के लिए लागू करने हेतु अधिसूचना जारी की। बाद में इस अधिसूचना पर भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी, जिसमें गुर्जर समाज विशेष रूप से आंदोलनरत था। उनकी मांग पर राज्य सरकार ने भी यह अनुभव किया कि सभी पिछड़ी जातियों के लिए एक अधिनियम की व्यवस्था उचित नहीं है। अत: विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु पृथक् आरक्षण विधेयक लाना समाज के व्यापक हित में होगा। तदनुसार ही विशेष पिछड़ा वर्ग को पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के प्रयोजन से यह पृथक् आरक्षण विधेयक राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे पारित होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया से संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु भी राज्य सरकार भरसक प्रयास करेगी। इस वजह से ऊपर अंकित पांचों जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग के रूप में परिभाषित करते

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हुए राज्य की शैक्षणिक संस्था में प्रवेश और राज्य के अधीन सेवा में नियुक्ति में पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पारित किया जाए, रिक्वैस्ट कीजिए। इसको पारित करने की रिक्वैस्ट करो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रियाओं से चलने और पाइंट आफ आर्डर को सुनने का कष्ट करें। (व्यवधान) माननीय अध्यक्षजी, पाइंट आफ आर्डर सुनिए। (व्यवधान)नियमों और प्रक्रियाओं को तवज्जोह दीजिए...(व्यवधान)

विधेयक पर विचार

राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

का आरक्षण) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पाइंट आफ आर्डर, सर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): संवैधानिक आपत्ति है इस बिल पर ...(व्यवधान) संवैधानिक आपत्ति को सुनिए, उसके बाद फैसला करिए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने संविधान की शपथ खायी है...(व्यवधान) सारे माननीय सदस्यों ने संविधान की शपथ खायी है। (व्यवधान) आर्थिक पिछ्डा कोई चीज नहीं है... (व्यवधान) संविधान में आर्थिक पिछड़ा कोई शब्द नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 9 कोई संशोधन नहीं...(व्यवधान) मानिकजी का रिकार्ड नहीं हो। मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

खण्ड 2 से 9-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 9 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 9-स्वीकार किये गये।

खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री गुलाबचन्द, प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राज्य में आर्थिक पिछड़ा वर्ग को शैक्षिक संस्थाओं और राज्य के अधीन सेवाओं के आरक्षण के लिए हम यह विधेयक ला रहे हैं। पिछले सत्र में 2008 में भी इस सदन ने इसको पास किया था उसमें जो कमियां-खामियां रही थीं या कोर्ट ने जो आदेश हमको दिया था, उसकी पालना करते हुए हम अलग से बिल लाये हैं। राजस्थान राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान लागू होने के कुछ वर्षों बाद से ही लगातार प्रभाव में है। इसके पश्चात् पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मान्य करते हुए पिछड़ी जातियों को भी वर्ष 1953 में आरक्षण का प्रावधान केन्द्र की भांति राज्य में भी लागू किया गया। इन जातियों ने आरक्षण के प्रावधान का लाभ उठाकर अपने आपको समाज की मुख्य धारा में लाने में काफी हद तक

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

सफलता हासिल की। किन्तु इन सबके परिणामस्वरूप अनारक्षित जातियों का आर्थिक रूप से वंचित वर्ग प्रतियोगिता में बहुत पिछड़ गया। इस वर्ग की प्रतिभाएं सरकार की ओर से मिलने वाले उचित संरक्षण के अभाव में तथा अपने आर्थिक पिछड़ेपन के कारण समाज के विकास में यथेष्ट योगदान न दे पाने के कारण अपने आपको समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ समझने लगीं। इस विशाल वर्ग के आक्रोश को महसूस करते हुए राज्य सरकार ने 17.09.2007 को शशिकांत शर्मा की अध्यक्षता में राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इस आयोग द्वारा अनारिक्षत जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का व्यापक अध्ययन किया गया, सुनवाई की गयी, न्यायिक निर्णय का अनुशीलन किया गया और व्यापक विचार-विमर्श के बाद 18 जून, 2008 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की गयीं। इस आयोग द्वारा इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन आफ इंडिया मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्बल वर्ग (वीकर सैक्शन) की व्याख्या करते हुए दिये गये विचारों को अपनी सिफारिश का आधार बनाया गया और ऐसे परिवार जिसमें सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से कम हो, को आर्थिक पिछड़ा वर्ग में माने जाने का अंतरिम सुझाव प्रस्तुत किया गया। साथ ही इन वर्गों को लोक सेवाओं एवं शैक्षिक संस्थाओं में 12 से लेकर 15 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

की अनुशंसा की गयी। इसके अतिरिक्त इन वर्गों के कल्याण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास और रोजगार के क्षेत्र में भी एक विशेष पैकेज दिये जाने का सुझाव दिया गया ताकि सामाजिक समरसता एवं प्राकृतिक न्याय सुरक्षित किया जा सके।

राज्य सरकार द्वारा इस आयोग की सिफारिशों को उचित मानते हुए 2008 में राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 पारित कराया गया। किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिये जाने से यह आरक्षण प्रावधान अभी तक प्रभाव में नहीं लाया जा सका। जबकि राज्य सरकार विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु पृथक् से आरक्षण विधेयक लायी है, इस अवसर पर प्राप्त हुआ है, जब इन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में भी ऐसा ही एक पृथक् आरक्षण विधेयक लाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को लाने का नीतिगत निर्णय लिया, जिसके तहत इस विधेयक को सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विधेयक में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को शैक्षिक सुविधाएं एवं राजकीय सेवाओं में 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार का प्रयास रहेगा, इस विधेयक को संविधान की नवीं सूची में भी शामिल कराया जाए।

श्री अध्यक्ष: पारित करने का प्रस्ताव भी रखिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सारी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 पारित किया गया।

शासकीय संकल्प। श्री गुलाबचन्द कटारिया, शासकीय संकल्प।

शासकीय संकल्प

राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार से आग्रह

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करता हूं:-

यह सदन सर्वसम्मति से राजस्थान प्रदेश के कतिपय पिछड़े वर्गों अर्थात् बंजारा/बालदिया/लबाना, गाड़िया लोहार/गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राइका/रैबारी/देबासी, गडरिया/गाडरी/गायरी के शैक्षिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक पिछड़े होने को दृष्टिगत रखते हुए संकल्प करता है कि राजस्थान सरकार ''राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015'' को संविधान के अनुच्छेद 31ख के अन्तर्गत संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने के लिए भारत सरकार से आग्रह करे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

संकल्प को पारित किया गया।

दूसरा संकल्प, श्री गुलाबचन्द कटारिया।

राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित कराने हेतु भारत सरकार से आग्रह

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करता हूं :-

यह सदन सर्वसम्मति से राजस्थान प्रदेश के अनारक्षित प्रवर्गों के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सर्वाधिक गरीब वर्ग की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए संकल्प करता है कि राजस्थान सरकार ''राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015'' को संविधान के अनुच्छेद 31ख के अन्तर्गत संविधान की नवीं अनसूची में सम्मिलित करवाने के लिए भारत सरकार से आग्रह करे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

संकल्प को पारित किया गया।

वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें, 2015-2016। मुखबंद।

(13.17 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: मुखबन्द।

मुखबंद

अनुपूरक अनुदान की मांगों (2015-16) का पारण

मांग संख्या 8–राजस्व

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8–राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 9–वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9–वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 13–आबकारी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13–आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22–क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22–क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,000/- (सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 23–श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23–श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,000/- (बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,000/- (सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,16,000/- (एक लाख सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी नारेबाजी व शोरगुल)

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,62,90,64,000/- (एक अरब बासठ करोड़ नब्बे लाख चौंसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 30– जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में

(श्री उपाध्यक्ष)

किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 57,000/- (सत्तावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 32–नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,000/- (इकतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,000/- (तेइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,43,86,00,000/- (तीस अरब तियालीस करोड़ छियासी लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 37–कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के

(श्री उपाध्यक्ष)

सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 43,000/- (तियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 41–सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 46–सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,48,00,000/- (एक करोड़ अड़तालीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 48–विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 51–अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51–अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47,000/- (सैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी नारेबाजी व शोरगुल)

श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी नारेबाजी व शोरगुल)

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2015 पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तब जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.28 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर जिला परिषद में दस्तावेज गायब होने पर कार्यवाही

65. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद अलवर से 75 से अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ गायब हुए हैं? यदि हां, तो कब व ये दस्तावेज किस-किस से सम्बन्धित थे? विवरण सदन की मेज़ पर रखे।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला परिषद कार्यकारिणी की लापरवाही के कारण 200 से अधिक महत्वपूर्ण फाइलों को विनष्ट करने का कारण बन्दरों द्वारा फाइलें फाड़ना बताया गया है? यदि हां, तो इनके लिए कौन-कौन कार्मिक जिम्मेदार है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फाइलें एवं दस्तावेज़ सरपंचों की जांच एवं अन्य महत्वपूर्ण गोपनीय जांच से सम्बन्धित थे?

(4) वर्तमान में उक्त जिला परिषद में दस्तावेजों एवं फाइलों को सुरक्षित रखे जाने की क्या व्यवस्थाएं हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। कोई भी फाइल विनिष्ट नहीं हुई है, बन्दरों द्वारा जिन फाइलो को क्षति पहुंचाई गई थी, उन्हें चिपकाकर पूर्ण कर लिया गया है।

(3) जी नहीं। सूचना के अधिकार के तहत आये आवेदन पत्र एवं संलग्न कार्यालय टिप्पणी है, जांच शाखा कार्यालय में अलग से स्थापित की हुई है, जिसमें सरपंचो से सम्बन्धित सभी दस्तावेज सुरक्षित हैं।

(4) रिकार्ड की सुरक्षा के लिये अलमारियों की व्यवस्था कर दी गई है।

अलवर जिले के एन.सी.आर. क्षेत्र हेतु स्वीकृत पेयजल योजनाएं

66. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश की कौन-कौनसी तहसीलें राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में आती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

(2) गत पांच वर्षों में उक्त क्षेत्र में पेयजल की कौन-कौनसी योजनाएं स्वीकृत की गईं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में अन्य प्रदेशों की तुलना में विकास योजनाएं नगण्य हैं? यदि हां, तो क्यों? अलवर जिले में एन. सी. आर. क्षेत्र में कितनी योजनाएं प्रस्तावित हैं? योजना का नाम व क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नगरपालिका खैरथल एवं किशनगढ़ बास के लिए राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में आने के बाद भी पेयजल योजना स्वीकृत नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त नगरपालिका क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय राजधानी परियोजना में राशि स्वीकृत करवाकर पेयजल समस्या का समुचित समाधान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में राज्य के जिला अलवर एवं भरतपुर की क्रमशः 16 एवं 10, कुल 26 तहसीलें सम्मिलित हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र अन्तर्गत अलवर जिले के 5 शहरों क्रमशः अलवर, बहरोड, तिजारा, भिवाड़ी एवं राजगढ़ की जल योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की सैद्धान्तिक सहमति माह फरवरी, 2012 में एवं इनकी स्वीकृति माह नवम्बर, 2013 में राशि रुपये 278.27 करोड़ (लोन राशि रुपये 208.70 करोड़) की जारी की गई। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

वर्णित अवधि में जिला भरतपुर में उक्त परियोजना क्षेत्र अन्तर्गत कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई।

(3) राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न राज्यों हेतु परियोजनाओं का चयन एवं स्वीकृति का कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में है। अलवर जिले में उपरोक्तानुसार 5 शहरी जल योजनाओं की स्वीकृति जारी की गई है तथा खैरथल, किशनगढ़ बास एवं खेड़ली कस्बों हेतु तकनीकी उपादेयता के आधार पर योजनाएं बनाई जाकर प्रस्तावित की जायेंगी।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) जी हां। उपरोक्तानुसार।

(5) जी हां। उपरोक्तानुसार।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मारवाड़ जंक्शन में बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान

67. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में छात्र एवं छात्राओं को किस-किस आधार पर कितनी-कितनी राशि की छात्रवृत्ति दी जाती है तथा इसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2009 से अगस्त 2015 तक विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की 75 ग्राम पंचायतों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं अन्य सहायता के लिए वर्षवार कुल कितनी राशि स्वीकृत की गयी तथा कितनी राशि का भुगतान अब तक कर दिया तथा कितना भुगतान करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रावधान/नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(2) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के विद्यार्थियों की वर्ष 2009 से अगस्त 2015 तक स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि एवं भुगतान की गई छात्रवृत्ति राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के विद्यार्थियों की वर्ष 2009 से अगस्त 2015 तक स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान बकाया नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-68

(स्थगित)

जी.एस.एस. रोटू (नागौर) के निर्दोष व्यवस्थापक को कार्यग्रहण करवाने की कार्यवाही

69. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. रोटू तहसील जायल जिला नागौर में कार्यरत पूर्व व्यवस्थापक को जी. एस. एस. अध्यक्ष व ऋण पर्यवेक्षक द्वारा एक साजिश के तहत हटाया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यवस्थापक के जांच में निर्दोष पाये जाने के उपरान्त भी सहायक रजिस्ट्रार नागौर द्वारा ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि ऋण पर्यवेक्षक व जी. एस. एस. अध्यक्ष द्वारा बिना रेकार्ड के ही ऋण वितरण किया जा चुका है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(4) क्या सरकार अब निर्दोष व्यवस्थापक को ज्वाइन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जांच प्रकियाधीन है।

(5) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रदेश में अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने की कार्य योजना

70. **श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बजरी का अवैध खनन हो रहा है? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हमीरसिंह भायल)

(2) बजरी की रायल्टी दर निर्धारित करने का कार्य सरकार का है या ठेकेदार का है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) खनन कार्य हेतु क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सिवाना, समदड़ी व सिणधरी में जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित दरों से अधिक रायल्टी वसूल की जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में खनिज बजरी के अवैध खनन की शिकायतें समय-समय पर होती रही हैं। अवैध खनन के विरुद्ध रोकथाम के सम्बन्ध में आरएमएमसीआर 1986 में प्रावधान किये हुए हैं। खनिज नीति 2015 में अवैध खनन करने पर सजा का प्रावधान दो वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है और अधिकतम जुर्माना राशि रुपया 25,000/- से बढ़ाकर रुपया 5,00,000/- की गई है। साथ ही न्यूनतम कम्पाउण्ड राशि भी रुपया 5,000/- से बढ़ाकर रुपया 25,000/- करने और खनिज की कीमत भी 10 गुना से बढ़ाकर 15 गुना वसूल करने का प्रावधान किया गया है। अवैध खनन को रोकने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न विभागों के साथ संयुक्त अभियान भी चलाये जाते हैं एवं आकस्मिक रूप से चैकिंग भी की जाती है।

वर्ष 2014-15 में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/स्टोक के कुल 1558 प्रकरण सामने आये जिनमें से 4,80,25,863/- रुपये शास्ती के रूप में वसूल किये गये, 249 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, 69 व्यक्ति गिरफ्तार हुए तथा 561 वाहन, मशीनरी, टूल्स जब्त किये गये (प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है)।

वर्ष 2015-16 (31 अगस्त, 2015 तक) में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/स्टोक के कुल 510 प्रकरण सामने आये जिनमें से 1,83,37,809/- रुपये शास्ती के रूप में वसूल किये गये, 61 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गईं, 19 व्यक्ति गिरुफ्तार हुए तथा 91 वाहन, मशीनरी, टूल्स जब्त किये गये (प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है)।

(खान राज्य मंत्री)

वर्तमान में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/स्टोक की रोकथाम हेतु जिला उदयपुर की तहसील गिर्वा व सलूम्बर में दिनांक 15.7.2015 से विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

(2) खनिज बजरी पर रायल्टी दर निर्धारित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर की जाती है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के शिड्यूल-I प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। खनिज बजरी की रायल्टी भरतपुर, झुंझुनूं, धौलपुर, टोंक एवं सीकर जिलों में रुपया 35/- प्रति टन एवं अन्य जिलों में 30 रुपये प्रति टन निर्धारित है।

(3) खनिज बजरी के खनन पट्टों के एल.ओ.आई. धारकों के पक्ष में खनन कार्य हेतु जारी अस्थाई कार्यानुमति में सम्मिलित शर्तों की प्रति परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(4) अस्थाई कार्यानुमति धारक द्वारा खनिज बजरी पर रायल्टी+परमिट फीस+कीमत वसूल की जाती है, पूर्व में खनिज बजरी की विक्रय दरें (कीमत) राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण व्यापार और वाणिज्य का नियन्त्रण) विधेयक 2014 की धारा 4(1) के तहत जारी नोटिफिकेशन दिनांक 7.2.2014 के द्वारा बजरी को उक्त विधेयक के अन्तर्गत शामिल करने से कीमत निर्धारण की शक्तियां जिला कलक्टर में निहित होने से जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश दिनांक 08.10.2014 के द्वारा बजरी विक्रय मूल्य की दरें प्रति टन निर्धारित की गई थीं एवं निर्धारित दरों पर कार्यानुमति धारक द्वारा वसूल की जाती थी। बजरी एल.ओ.आई. होल्डर वेलफेयर सोसायटी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में प्रस्तुत एस.एल.पी. संख्या 15369/2015 में पारित आदेश दिनांक 18.5.2015 से राज्य सरकार के बजरी दरों को निर्धारित हेतु जारी नोटिफिकेशन दिनांक 7.2.2014 को स्टे कर दिये जाने के फलस्वरूप विक्रय दरें जिला कलक्टर बाड़मेर के निर्धारित करने का अधिकार नहीं रह जाने से एल.ओ.आई. धारक द्वारा अपने स्वयं के स्तर से बजरी की कीमत प्रति टन निर्धारित की जाकर रायल्टी+परमिट फीस+कीमत वसूल की जा रही है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बड़ी सादड़ी में सड़कों की मरम्मत की कार्य योजना

71. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में सडकों की खराब स्थिति को देखते हुए इनकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति बड़ी सादड़ी, डूंगला व भदेसर का आंशिक क्षेत्र तथा प्रतापगढ़ जिले की पंचायत समिति प्रतापगढ़ का आंशिक क्षेत्र आता है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन वर्तमान में सड़कों की कुल लम्बाई 829.02 कि.मी. है।

इनमें से 244.19 कि.मी. लम्बाई की सड़कें गारण्टी अवधि में हैं, जिनकी मरम्मत/रखरखाव का कार्य सम्बन्धित संवेदकों द्वारा आवश्यकता अनुसार समय-समय किया जा रहा है। वर्तमान में गारण्टी अवधि की सड़कों की स्थिति संतोषजनक है।

शेष 584.83 कि.मी. लम्बाई की सड़कें नान डी.एल.पी. में हैं। इन सड़कों में 133.15 कि.मी. लम्बाई की सड़कें अच्छी स्थिति में हैं, 99.30 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का नवीनीकरण विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है, 263.23 कि.मी. लम्बाई की सड़कें पेचेबल हैं जिन पर पेच मरम्मत का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर माह नवम्बर 2015 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। सड़कवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

शेष 89.15 कि.मी. लम्बाई की सड़कें नान पेचेबल श्रेणी में हैं, जिनका नवीनीकरण/पुनर्निर्माण किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। सड़कवार विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर लिफ्ट कैनाल द्वितीय चरण से पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्य योजना

72. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मेवाराम जैन)

(1) बाड़मेर लिफ्ट कैनाल द्वितीय चरण भाग 'स' के तहत कुल कितनी लागत से कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है? गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बाड़मेर लिफ्ट द्वितीय चरण भाग 'स' के टेण्डर हो गये हैं? यदि हां, तो उक्त कार्य किस फर्म को आबंटित किया गया? क्या उक्त कार्य के कार्यादेश जारी हो गये हैं? योजना का पूर्ण विवरण सदन को अवगत करायें?

(3) बाड़मेर लिफ्ट कैनाल द्वितीय चरण भाग 'ब' की वित्तीय स्वीकृति एवं कार्यादेश कब दिया गया तथा उक्त योजना में कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया एवं इस हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? राजस्व गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना का कार्य बहुत ही कम गति से चल रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार द्वारा लिफ्ट कैनाल द्वितीय चरण भाग 'ब' के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2001 की जनगणनानुसार बाड़मेर जिले के 286 ग्रामों (विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के 121, शिव के 162 एवं बायतू के 3 ग्राम) को बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण के भाग-स के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.09.2013 द्वारा राशि रुपये 700.00 करोड़ की जारी की गई। सम्मिलित ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण के भाग-स के कार्य के क्रियान्वयन हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त कार्यादेश सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। योजना का विवरण भाग-1 के अनुसार है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) बाड़मेर जिले के 67 ग्रामों (विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के 50 एवं बायतू के 17 ग्राम) को बाड़मेर लिफ्ट परियोजना के द्वितीय चरण के भाग-ब के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 188वीं बैठक दिनांक 24.08.2012 द्वारा राशि रुपये 125.00 करोड़ की जारी की गई।

इस भाग की परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु मैसर्स प्रतिभा इण्डस्ट्रीज लि., मुम्बई को राशि रुपये 128.07 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 16.05.2013 को जारी किया गया। सम्मिलित ग्रामों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जी हां। अनुबंधित फर्म द्वारा परियोजना का कार्य धीमी गति एवं भूमि अवाप्ति में कठिनाई आने के कारण कार्यों के सम्पादन में विलम्ब हुआ है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार फर्म की रुपये 3.30 करोड़ की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में अब तक रोकी गई है।

(5) परियोजना की प्रगति हेतु फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ नियमित परिवीक्षण किया जा रहा है। विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंधित फर्म को कार्यों की गति बढ़ाने हेतु नोटिस जारी करते हुए उक्तानुसार क्षतिपूर्ति राशि रोकी गई है। कार्यादेश अनुरूप भाग-ब की उक्त परियोजना दिनांक 25.11.2015 तक पूर्ण करनी निर्धारित थी परन्तु कार्यों की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए परियोजना दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

दौसा जिले में विमंदित छात्रों को देय छात्रवृत्ति

73. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दौसा जिले में वर्ष 2009 से 2015 तक अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक छात्र/छात्राओं को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति का वितरण किया गया? लाभान्वितों की संख्या एवं राशि का वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितने छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया? वर्षवार व श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोडी लाल)

(3) उक्त अवधि में दौसा जिले में कितने मानसिक रूप से अपरिपक्व एवं विमंदित बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित की गई? वर्षवार दी गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु समुचित धनराशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दौसा जिले में वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लाभान्वितों की संख्या एवं वितरित छात्रवृत्ति राशि का वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दौसा जिले में वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक लाभान्वितों की संख्या एवं वितरित छात्रवृत्ति राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) दौसा जिले में वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दौसा जिले में वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट-ब में अंकित है।

(3) जी नहीं। उक्त अवधि में दौसा जिले में मानसिक रूप से अपरिपक्व एवं विमंदित बच्चों की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमानुसार पात्र समस्त छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

अन्य पिछड़ा वर्ग में सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत 1 से 6 कैटेगरी (1. बीपीएल परिवार के विद्यार्थी 2. नि:शक्त 3. विधवा 4. तलाकशुदा महिला 5. विधवा के पुत्र/पुत्री 6. तलाकशुदा महिला के पुत्र/पुत्री के पात्र विद्याथियों) को भुगतान किया जा रहा है।

कुछ विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में कमियां/आक्षेप जैसे कि आवेदन पत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं होना, संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय सील नहीं होना, आय प्रमाण पत्र अपूर्ण होना, जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होना, गेप प्रमाण पत्र की पूर्ति नहीं करना, गत वर्ष की अंकतालिका नहीं होना, फीस की मूल रसीद नहीं होना, संरक्षक की आय घोषणा होने की दशा में माता/पिता/पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होना, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना के तहत बीपीएल नि:शक्त, तलाकशुदा, विधवा के प्रमाण पत्र आदि संलग्न नहीं होने के कारण समय पर छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं हो पाती है तथा विद्यार्थियों के खाता नम्बर गलत होने/बंद होने के कारण डीबीटी के माध्यम से सीधे विद्याथियों के खाते में राशि हस्तान्तरित नहीं होने तथा ऐसे विद्यार्थियों के नाम डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) बनाये जाने में विलम्ब होने से समय पर भुगतान नहीं हो पाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के लिए सेवा नियम लागू करने की योजना

74. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों को स्थाई राजकीय कर्मचारी घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या उन पर सरकार के अन्य कर्मचारियों की भांति सेवा नियम लागू होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

प्रदेश में ईको टूरिज्म के लिये स्वीकृत राशि

75. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ईको टूरिज्म प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो वर्ष 2011 में इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में कितनी राशि स्वीकृत की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन कार्यों के लिए बजट आबंटित किया गया था, उनके स्थान पर अन्य कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाई गई तथा जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये व दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संशोधित बजट अनुमानों में वित्तीय वर्ष 2011-12 में ईको टूरिज्म (आयोजना) में रुपये 223.30 लाख एवं वर्ष 2014-15 में रुपये 64.86 लाख स्वीकृत किये गये।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

ईको टूरिज्म परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्षवार व्यय का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम साइट	प्रोजेक्ट कास्ट	वर्षवार व्यय का विवरण				कुल योग	विशेष विवरण
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15		
1.	मैनाल-भीलवाड़ा	48.50	20.00	15.62	12.55	-	48.17	कार्य पूर्ण
2.	हमीरगढ-भीलवाड़ा	80.00	20.00	4.05	19.90	-	79.95	कार्य पूर्ण
3.	बस्सी-चित्तौढगढ़	77.00	20.00	29.93	27.20	-	77.13	कार्य पूर्ण
4.	सीतामाता-चित्तौडगढ़	93.00	20.00	37.28	40.85	-	98.13	कार्य पूर्ण
5.	पंचकुण्ड-अजमेर	82.00	9.83	12.09	32.70	-	54.62	कार्य पूर्ण
6.	सुण्डामाता-जालौर	95.00	64.63	30.35	-	-	94.98	कार्य पूर्ण
7.	गुढाबिश्नोई-जोधपुर	28.30	28.30	14.20	-	-	42.50	कार्य पूर्ण
8.	मुकन्दरा हिल्स नेशनल पार्क-कोटा	84.00	-	67.58	16.38	-	83.96	कार्य पूर्ण
9.	भैंसरोडगढ़-चित्तौड़गढ़	32.02	-	21.11	10.89	-	32.00	कार्य पूर्ण
10.	सागर, नाहरगढ़-जयपुर	117.00	-	-	8.01	1.36	9.37	कार्य प्रगति पर
11.	जमवाघाट, जमवारामगढ़	39.00	-	-	19.85	4.06	23.91	कार्य प्रगति पर

क्र. सं.	नाम साइट	प्रोजेक्ट कास्ट	वर्षवार व्यय का विवरण				कुल योग	विशेष विवरण
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15		
12.	हवाहोदी, जमवारामगढ़, जयपुर	75.00	-	-	23.51	5.3	28.81	कार्य प्रगति पर
13.	हर्षनाथ-सीकर	95.00	-	-	10.99	19.97	30.96	कार्य प्रगति पर
14.	सोरसन	9.00	-	-	9.00	-	9.00	कार्य पूर्ण
	योग	954.82	182.76	268.21	231.83	30.69	713.49	

सवाई माधोपुर के हम्मीर ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने की योजना

76. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में वर्ष 2015-16 में किन-किन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई और इस हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार को किस-किस स्थान के सड़क निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए और उक्त प्रस्ताव किस स्तर पर लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुए हम्मीर ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन जिन सड़क कार्यों की स्वीकृति जारी की गई, उनका स्वीकृत राशि सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में सरकार को निम्न तीन सड़क निर्माण कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए:-

1. लोदीपुरा से खिलचीपुर तक मिसिंग लिंक सड़क निर्माण कार्य (6 कि.मी.)
2. सवाई माधोपुर में हम्मीर सर्किल से सामान्य चिकित्सालय तक सड़क का चौड़ाईकरण एवं डिवाइडर का कार्य (2.20 कि.मी.)
3. सामान्य चिकित्सालय से भैरूं दरवाजा तक अतिरिक्त कैरिजवे का निर्माण कार्य।

परिशिष्ट-1 में अंकित विवरण अनुसार क्रम सख्या 1 व 2 पर अंकित कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

क्रम संख्या 3 पर अंकित कार्य सामान्य चिकित्सालय से भैरूं दरवाजा तक अतिरिक्त कैरिजवे का निर्माण कार्य का प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। इसकी स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) सवाई माधोपुर शहर का हम्मीर ब्रिज (आर.ओ.बी.) दो लेन चौड़ाई का है। इस ब्रिज से कोटा-लालसोट मेगा हाइवे, टोंक-सवाईमाधोपुर-शिवपुरी स्टेट हाइवे संख्या-30 का यातायात तथा स्थानीय यातायात गुजरता है। उक्त ब्रिज पर यातायात दबाव को देखते हुए ब्रिज का चौड़ाईकरण किया जाता है तो इससे गुजरने वाले यातायात को सुविधा होगी। वर्तमान में हम्मीर ब्रिज का चौड़ाईकरण किसी भी योजनान्तर्गत विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है। भविष्य में उक्त कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में वर्ष 2015-16 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन स्वीकृत सड़क कार्यों का विवरण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	योजना का नाम	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	सवाई माधोपुर	मिसिंग लिंक योजना	लोदीपुरा से खिलचीपुर तक मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण कार्य मेगा हाइवे तक	6.00	300.00	निविदा प्रक्रियाधीन।
2	सवाई माधोपुर	5054-प्लान	हम्मीर सर्किल से सामान्य चिकित्सालय तक चौड़ाईकरण एवं डिवाइडर का कार्य	2.20	850.73	निविदा स्वीकृति प्रक्रियाधीन।
3	सवाई माधोपुर/ खण्डार	5054-प्लान	सवाई माधोपुर से ग्राम कुश्तला से सूरवाल तक बाइपास निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति	15.00	3341.00	केवल भूमि अवाप्ति हेतु स्वीकृत। वर्तमान में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रगति पर।
			योग	23.20	4491.73	

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कनिष्ठ लिपिकों के स्वीकृत पद

77. **श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

प्रदेश के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कुल कितने कनिष्ठ लिपिक के पद सृजित हैं? उनमें से कितने पदों को भरा गया और कितने पद रिक्त हैं? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कुल 18354 कनिष्ठ लिपिकों के पद सृजित किये गये। इनमें से 6958 पद भरे गये एवं 11396 पद रिक्त हैं जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में भू-जल स्तर बढ़ने की समस्या के स्थाई समाधान की योजना

78. **श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर शहर में भू-जल स्तर बढ़ने की समस्या के निदान हेतु अब तक क्या उपाय किए गए और इन उपायों से कितनी सफलता मिली है? भू-जल स्तर का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भू-जल स्तर बढ़ने की समस्या के स्थायी समाधान के लिए और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? यदि हां, तो उन अपेक्षित प्रयासों की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर की तरह ही बाड़मेर, फलौदी कस्बों में भी भू-जल स्तर बढ़ने की समस्या हो रही है? यदि हां, तो वहां इस समस्या के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में भूजल स्तर बढ़ने की समस्या के निदान हेतु दिनांक 12.02.2009 को श्रीमान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एवं सम्भागीय आयुक्त जोधपुर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स का गठन किया। इसके तहत विभाग द्वारा अप्रैल 2009 से लगातार 38 पीजोमीटर व 19

(भू-जल राज्य मंत्री)

तलघरों का सतत आकलन किया जा रहा है। माह में दो बार सर्वे रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता (परियोजना) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जोधपुर को भेजी जा रही है। अब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इन 38 पीजोमीटर पर Automatic water level recorder लगा दिये गये हैं।

जोधपुर शहर में वर्तमान में कुल 89 भूजल स्रोतों से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा लगातार पम्पिंग की जा रही है। शहर को कुल चार जोन में बांटकर, जोनवार भूजल स्तर का आंकलन भूजल विभाग द्वारा किया जाता है। आंकलन से यह निष्कर्ष निकलता है कि पम्पिंग से तीन जोनों में भूजल स्तर में गिरावट आंकी गयी परन्तु चतुर्थ जोन में अभी भी जल स्तर में कम गिरावट आंकी गयी है। इसके समाधान हेतु चतुर्थ जोन में हाल ही में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी द्वारा 7 नलकूपों का निर्माण किया गया है जिससे इस जोन में भी भूजल स्तर में भी सुधार होने की सम्भावना है। भूजल का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

जोन	क्षेत्र	भूजल स्तर अप्रैल 2009 (मीटर में)	भूजल स्तर जुलाई 2015 (मीटर में)	भूजल स्तर में गिरावट (मीटर में)
1	खरबूजा बावड़ी	1.38	2.72	- 1.34
2	बाई जी का तालाब	3.60	6.52	- 2.92
3	फतेह सागर	2.61	3.97	- 1.36
4	लक्ष्मी नगर महामंदिर	3.62	3.38	+ 0.24

टास्क फोर्स द्वारा इन रिपोर्टो के आधार पर पम्पिंग जारी रखने, शहर में दो दिन में एक बार वाटर सप्लाई करने, भूजल स्तर 5 मीटर से गहरे होने पर ही तहखानों का निर्माण करने, पेयजल लाइनों एवं सीवरेज लाइनों से लीकेज दुरस्त करने तथा नालों का पक्का निर्माण इत्यादि करने, यहां के नागरिकों को समस्या से अवगत करने तथा सीमित जल उपयोग करने इत्यादि का निर्णय लिया।

(भू-जल राज्य मंत्री)

(2) भूजल स्तर बढ़ने की समस्या के स्थायी समाधान के प्रयासों का कार्य प्रगति पर है एवं यह कार्य मुख्य अभियन्ता (परियोजना) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जोधपुर द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने जोधपुर शहर में बढ़ते हुए भूजल को रोकने हेतु अप्रैल 2009 से पम्पिंग शुरू की। वर्तमान में कुल चार जोनों से 89 भूजल स्रोतों से पम्पिंग की जा रही है। पम्पिंग के प्रभाव से प्रथम तीन जोन क्रमश: खरबूजा बावडी जोन, बाई जी का तालाब जोन और फतेह सागर जोन में भूजल स्तर औसतन कम हुआ है, जबकि चतुर्थ जोन (लक्ष्मी नगर महामंदिर) में भूजल स्तर में पम्पिंग के बावजूद वृद्धि आंकी गयी है। इसके समाधान हेतु हाल ही में चतुर्थ जोन में PHED द्वारा 7 नए नलकूपों का निर्माण किया गया है। जिससे जोन में भूजल स्तर में सुधार होने की सम्भावना है। भूजल निकासी एवं अन्य कार्यों में राशि का आबंटन जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी को दिया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने भूजल स्तर बढ़ने के कारणों को जानने हेतु राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान जो कि इस कार्य में दक्षता रखते हैं, NIH रूड़की एवं NGRI हैदराबाद से अध्ययन करवाया।

इनके आधार पर निम्न निष्कर्ष हैं।

NGRI द्वारा कायलाना झील से लिनियामेन्ट द्वारा शहर की ओर जल रिसाव के अध्ययन हेतु एन.आर.एस.ए., हैदराबाद से सेटेलाइट-ईमेजरिज प्राप्त इनका अध्ययन एवं विश्लेषण कम्प्यूटर साफटवेयर ENVI/ERDS द्वारा किया गया। NGRI के विषय विशेषज्ञों की टीम द्वारा शहर के कायलाना-तख्तसागर एवं अन्य समस्याग्रस्त क्षेत्रों में भूगर्भीय एवं भू-भौतिकी सर्वेक्षण किया गया। अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया कि कोई भी भूगर्भीय दरार का विस्तार इन झीलों से शहर तक नहीं है। अत: कायलाना-तख्तसागर से जल रिसाव द्वारा जोधपुर शहर में भूजल स्तर बढ़ने की सम्भावना से इन्कार किया गया तथा शहर में जल निकासी के प्रबंधन में सुधार का सुझाव व्यक्त किया।

NIH रूड़की द्वारा कायालाना-तख्तसागर जलाशयों से लिनियामेन्ट के माध्यम से जल रिसाव द्वारा जोधपुर शहर में जल स्तर बढने की सम्भावना से इन्कार किया तथा निम्न कारण माने:-

1. जोधपुर शहर को कायालानातख्तसागर जलाशयों से पर कैपिटा निर्धारत मात्रा (140 एल.पी.डी.) से अधिक जल सप्लाई किया जाना।

(भू-जल राज्य मंत्री)

2. पेयजल सप्लाई की पाइप लाइनों से जल का लीकेज।

3. सीवरेज सिस्टम में से पानी का लीकेज।

समस्या के सामधान हेतु NIH रूड़की की रिपोर्ट में निम्न सुझाव दिये :-

1. पेयजल आपूर्ति को 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक सीमित कर 30 प्रतिशत की करना।
2. पाइप लाइन में लीकेज की मरम्मत।
3. पम्पिंग अथवा अन्य साधनों से जल निकासी कर भूजल स्तर को जमीन से 4 मीटर नीचे तक सीमित रखना।
4. सीवरेज एवं ड्रेनेज तंत्र का सुदृढ़ीकरण।
5. तालाबों में मुलतानी मिट्टी (Bentonite) बिछाकर रिसाव को रोकना।

(3) बाड़मेर शहर के भूजल स्तर में विशेष या अनपेक्षित बढ़ोतरी दर्ज नहीं की जा रही है, वर्ष 1999 में बाड़मेर शहर में विभाग द्वारा सर्वे किये जा रहे आधारभूत कुएं का भूजल स्तर 25.05 मीटर था जो वर्ष 2014 के सर्वे अनुसार 30.10 मीटर दर्ज किया गया है। फलौदी क्षेत्र के भूजल स्तर में किसी तरह की बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गयी है।

प्रदेश में शेल्टर होम्स खोलने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान

79. **श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा बेसहारा महिलाओं व बच्चों के लिए शेल्टर होम्स खोलने के लिये स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देने की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या व इसके क्या नियम व प्रक्रिया है? नियमों व प्रक्रियाओं की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने शेल्टर होम चल रहे हैं व इनकी देखरेख की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त शेल्टर होम्स की गत दो वर्षों में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब व किन-किन की? क्या इनकी जांच की गई?

(श्रीमती अलका सिंह)

यदि हां, तो कब-कब व किस स्तर पर? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बेसहारा एवं विपरीत परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महिला अल्पावास गृह तथा स्वाधार गृह स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से खोलने की व्यवस्था है। उक्त योजना के नियम व प्रक्रिया की प्रति परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब पर सलंग्न है।

जी हां। जे. जे. एक्ट की धारा 37 में पंजीकृत ओपन शेल्टर (6-18 आयु वर्ग के बच्चों) संचालन के लिये संस्थाओं को अनुदान दिये जाने हेतु जिलों से प्राप्त प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्राटेक्शन सोसायटी में गठित प्रोजेक्ट स्वीकृति समिति के समक्ष रखा जाता है। कमेटी के अनुमोदन पश्चात् प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाता है तथा भारत सरकार की स्वीकृति पश्चात् जिला अधिकारियों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

(2) वर्तमान में राज्य में 3 महिला अल्पावास गृह संचालित हैं। इनकी मानिटरिंग केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड में पदस्थापित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की जाती है। राज्य में 6 स्वाधार गृह संचालित हैं। जिनकी मानिटरिग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारियों द्वारा की जाती है।

1. वर्तमान में राज्य मे जे. जे. एक्ट की धारा 37 में पंजीकृत कुल 35 शेल्टर होम (आश्रय गृह) संचालित हैं। परिशिष्ट-स पर संलग्न है।
2. इनकी मानिटरिंग का कार्य निदेशालय स्तर, जिला स्तर पर अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण ईकाई एवं जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/जिला बाल संरक्षण इकाई एवं जिलों में गठित अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करके किया जाता है।

(3) जी नहीं। उक्त महिला अल्पावास गृह तथा स्वाधार गृह में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

जी हां। जयपुर शहर में संचालित कान्हा चिल्ड्रन होम जयपुर की जिला कलक्टर एवं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई एवं संस्था का पंजीयन विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पंजीयन निरस्त आदेश की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

अन्य जिलों की सूचना शून्य है। परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

खानपुर में खाद्य सुरक्षा योजना से पात्र व्यक्तियों के नाम हटाने पर कार्यवाही

80. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर से कितने व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाये गये? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है, जिनके द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में से बिना किसी कारण/आधार के व्यक्तियों के नाम हटाये गये हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में विधान सभा क्षेत्र खानपुर से 7818 व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों की सूची से हटाये गये हैं। ग्रामवार संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पूर्व में चयनित लाभार्थियों के पास प्रमाणित दस्तावेजों के अभाव में निष्कासन किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में सीमेन्ट कम्पनियों को खनन उद्योगों के लिए जारी मंशा पत्र

81. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) प्रदेश में दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 को किन-किन सीमेंट कंपनियों के पक्ष में खनन क्षेत्र आबंटित करने हेतु मंशा पत्र जारी किये गये? मंशा पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त तिथि को केन्द्र सरकार के स्तर पर लीजों का आबंटन नीलामी से करने की प्रक्रिया विचाराधीन थी और एम.एम.डी.आर. एक्ट में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप भी राज्य सरकारों को भिजवा दिया गया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त खनन क्षेत्रों की नीलामी नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन सीमेंट कम्पनियों के पक्ष में मंशा पत्र जारी किये गये हैं, उनकी यूएनएफसी 1997 के मानकों के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग कब की गई थी? प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि यूएनएफसी 1997 के मानकों के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग नहीं की गई है? यदि हां, तो नवीन एम.एम.डी.आर. एक्ट की अधिसूचना जारी होने के 12 दिन पूर्व ही यह मंशा पत्र जारी करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि मैसर्स लाफार्ज इंडिया एवं मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में पूर्व में धारित क्षेत्र 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक होने के कारण एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 की धारा 6(1)(बी) के तहत भारत सरकार से शिथिलन प्राप्त करना आवश्यक था? यदि हां, तो कब शिथिलन प्राप्त किया गया एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में दिनांक 31.12.2014 को जिन-जिन सीमेन्ट कम्पनियों को खनन क्षेत्र आबंटित करने हेतु मंशा पत्र जारी किये गये, का विवरण एवं मंशा पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। परन्तु लीजों का आबंटन नीलामी द्वारा करने हेतु बिल केन्द्रीय केबिनेट द्वारा दिनांक 30.9.2011 से अनुमोदित कर लोक सभा में पारित किये जाने हेतु लम्बित था एवं वर्ष 2015 में अध्यादेश के रूप में नीलामी के प्रावधान नियमों में किये जा सके। इतने लम्बे समय तक आबंटन को रोके रखना विकास के हित में नहीं था। साथ ही इन लीजों के आबंटन की प्रक्रिया वर्ष 2010 में प्रारम्भ होकर प्रक्रियाधीन थी। राज्य के विधि विभाग एवं महाधिवक्ता द्वारा भी तत्कालीन प्रभावी नियमों के तहत लाइमस्टोन ब्लाकों

(खान मंत्री)

की नीलामी को विधिसम्मत नहीं माना गया। भारत सरकार द्वारा भी नवीन नियम प्रभाव में आने तक प्रभावशील नियमों के तहत कार्यवाही के निर्देश पत्र दिनांक 17.9.2014 से जारी किये थे। भारत सरकार के पत्र की प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को उचित मानते हुए इस सम्बन्ध में सी.बी.आई. जांच हेतु दायर जनहित याचिका को खारिज किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(3) माह दिसम्बर, 2014 में चार सीमेन्ट कम्पनियों को मंशा पत्र जारी किये गये, इनकी UNFC 1997 के मानकों के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग नियमानुसार की गई :-

1. ब्लाक-पारेवर SN-II जिला जैसलमेर - में विभाग द्वारा UNFC 1997 के मानकों के अनुरूप पूर्वेक्षण कार्य वर्ष 1999-2000 व 2000-01 में किया गया।

2. ब्लाक-पारेवर SN-V जिला जैसलमेर - में विभाग द्वारा UNFC 1997 के मानकों के अनुरूप पूर्वेक्षण कार्य वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 में किया गया।

3. ब्लाक नि.ग्रा. धनोरा, कारून्दा, पायरी, माल्याखेड़ी तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ :- में विभाग द्वारा UNFC 1997 के मानकों के अनुरूप पूर्वेक्षण कार्य वर्ष 2006 से 2008 के दौरान किया गया।

4. ब्लाक नि.ग्रा. लसडावन, जावदा, तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ :- में विभाग द्वारा UNFC 1997 के मानकों के अनुरूप पूर्वेक्षण कार्य वर्ष 2004 से 2007 के दौरान किया गया।

उक्त चारों क्षेत्रों की पूर्वेक्षण रिपोर्ट परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। उक्त चारों ब्लाक्स में यूएनएफसी 1997 के मानकों के अनुरूप पूर्वेक्षण कार्य किया गया है। उक्त मंशा पत्र तत्समय प्रभावी एमएमडीआर एक्ट 1957 के प्रावधानों के अनुसार जारी किये गये।

(5) नियमों में भारत सरकार से शिथिलन प्राप्त करने के प्रावधान हैं एवं शिथिलन प्राप्त करने हेतु नियम 6 (1)(बी) के तहत भारत सरकार को प्रस्तावित किया हुआ है, जो प्राप्त होने पर ही नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़ी के ग्राम धनोरा से सौहास तक सड़क का निर्माण

94. **श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के राजस्व गांव सौहास के लिए धनोरा से सौहास तक नवीन पक्की सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के राजस्व गांव सौहास की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 189 है एवं वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 218 है।

चूंकि उक्त राजस्व गांव सौहास की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 से कम है, अत: वर्तमान में इस गांव को डामर सड़क मार्ग से जोड़ना किसी भी योजनान्तर्गत स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है।

धनौरा से सौहास तक 3.40 कि.मी. लम्बाई में डामर सड़क निर्माण पर वर्तमान में अनुमानत: राशि रु. 121.00 लाख की लागत आयेगी, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के वितीय संसाधनों की उपलब्धता, नीतिगत निर्णय एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

डूंगरपुर में ग्रामीण बस सुविधा से वंचित ग्राम पंचायत

95. **श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में रोडवेज की ग्रामीण बस सेवा से कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ा गया है एवं कितनी ग्राम पंचायतें वंचित हैं विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बीजूड़ा ग्राम पंचायत से डूंगरपुर मुख्यालय तक तथा वीरपुर से बिछीवाड़ा तक ग्रामीण बस सेवा चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में रोडवेज की ग्रामीण बस सेवा से 29 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ा गया है एवं शेष 40 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाना शेष है जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण ग्राम बीजूड़ा से डूंगरपुर मुख्यालय तक तथा वीरपुर से बिछीवाड़ा तक ग्रामीण बस सेवा संचालित किये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में रोडवेज की ग्रामीण बस सेवा से जुडी व वंचित ग्राम पंचायतों का विवरण

क्र.सं.	जुडी हुई ग्राम पंचायत	वंचित ग्राम पंचायत
1.	देवल खास	देवलपाल
2.	पालवड़ा	बटका फला
3.	बलवाड़ा	पाल गामड़ी
4.	थाणा	घुघरा
5.	बिलड़ी	सुन्दरपुरा
6.	खेडा कछवासा	सुरपुर
7.	खेरवाड़ा	बोरी
8.	सतीरामपुर	कांकरादरा
9.	बागदरी	चक महूड़ी
10.	माड़ा	गोकुलपुरा
11.	गडामोरैया	भटवाडा
12.	माथुगामड़ा	उपर गांव
13.	चुण्डावाड़ा	पगारा
14.	खजूरी	सिंदड़ी खेरवाड़ा
15.	गेड़	मैताली
16.	बिछीवाड़ा	गुमानपुरा
17.	कनबा	रोहन वाड़ा
18.	छापी	गामडी देवल
19.	करौली	पिपलादा

क्र.सं.	जुडी हुई ग्राम पंचायत	वंचित ग्राम पंचायत
20.	ओड़ा बड़ा	माथुगामाडा पाल
21.	मोदर	सिसोद
22.	तलैया	पाल पादर
23.	माथमाथा	अमजरा
24.	गामडी अहाडा	लाम्बा भटडा
25.	मेवाडा	कावलियादरा
26.	मलन्दर	आसियावाव
27.	भैहणा	धामोद
28.	वीरपुर	बिलपन
29.	जालुकुंआ	जेलाणा
30.		साबली
31.		धमलात फला
32.		रामपुर मेवाड़ा
33.		शरम
34.		महिपालपुरा
35.		पांच महुड़ी
36.		पाल बोखला
37.		बरौठी
38.		झिझवा
39.		नवल श्याम
40.		संचिया

पीलीबंगा (हनुमानगढ़) के राजकीय भवनों में निवासरत कर्मचारी

96. श्रीमती द्रोपदी (पीलीबंगा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा (हनुमानगढ़) में कितने राजकीय भवन हैं तथा उनमें कितने कर्मचारी निवास कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राजकीय भवनों में कौन-कौन से विभाग के कर्मचारी निवास कर रहे हैं? विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती द्रोपदी)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की रावतसर तहसील मुख्यालय पर कितने कर्मचारी साहवा लिफ्ट कालोनी में निवास कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा (हनुमानगढ़) के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के 190 राजकीय भवन, विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना अनुसार है तथा उनमें विभिन्न विभागों के 142 कर्मचारी/अधिकारी निवास कर रहे हैं। विभागवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त राजकीय भवनों में निवास कर रहे कर्मचारियों/अधिकारियों की विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना अनुसार विभागवार सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की रावतसर तहसील मुख्यालय पर जल संसाधन विभाग द्वारा प्रेषित सूचना अनुसार साहवा लिफ्ट कालोनी में कुल 52 आवासीय भवन हैं, जिनमें 5 भवन रिक्त, 2 भवन क्षतिग्रस्त एवं 1 भवन राजकीय कार्य (स्कोडा सिस्टम) में प्रयुक्त है। शेष 44 भवनों में निवास कर रहे कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-97

(स्थगित)

प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत आबंटित बजट

98. श्री मानवेन्द्र सिंह (शिव) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 100 से 250, 250-500 और 500 से 1000 की आबादी के कितने गांव/ढाणियां सड़क मार्ग से वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांव/ढाणियों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस योजना के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानवेन्द्र सिंह)

(3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश को गत वित्तीय वर्ष और इस वित्तीय वर्ष में आबंटित एवं व्यय किये गये बजट का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बाड़मेर व प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गत वित्तीय वर्ष और इस वित्तीय वर्ष में सड़क निर्माण के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए? उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये, कितने शेष हैं और क्यों? आबंटित बजट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 2001 की जनगणना के आधार पर 100 से 250 की 19040 गांव/ढाणियां, 250-500 की 2449 गांव/ढाणियां व 500 से 1000 की 128 गांव/ढाणियां सड़क सम्पर्क से वंचित हैं। विस्तृत सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। जनणगना वर्ष 2001 के अनुसार गांव/ढाणियों को जोड़े जाने की कार्यवाही पीएमजीएसवाई, नाबार्ड एवं अन्य विभिन्न योजनाओं में प्रक्रियाधीन है तथा गांव/ढाणियों को जोड़ा जाना राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, पारस्परिक प्राथमिकता व उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 652.86 करोड़ रुपये के आबंटन के विरुद्ध 649.55 करोड़ रुपये का व्यय किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 350.09 करोड़ रुपये के बजट आबंटन के विरुद्ध अगस्त 2015 तक 320.94 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) जिला बाड़मेर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पिछले वित्तीय वर्ष एवं इस वित्तीय वर्ष में 153 कार्यों के 565.29 कि.मी. लम्बाई के 215.85 करोड़ के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं तथा प्रदेश में 1436 कार्यों के 1445 बसावटों को जोड़ने हेतु 4226.26 कि.मी. लम्बाई के 1597.33 करोड़ के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। इन प्रस्तावों पर प्री एम्पावर्ड कमेटी, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.11.2014 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा एम्पावर्ड कमेटी की स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। जिलेवार, विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायती राज के अधीन विभागों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के नियम

99. **श्री कैलाश चौधरी** (बायतू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि गांवों में पंचायती राज को मजबूत करने के लिए, पांच विभाग पंचायती राज के अधीन रखे गए हैं? यदि हां, तो उक्त विभागों में स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। पंचायती राज को मजबूत करने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तर की निधियां, गतिविधियां एवं स्टाफ को पंचायती राज के अधीन रखे गये हैं।

उक्त विभागों में स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में आज्ञा क्रमांक प.4(02)परावि/सशक्त/2010/28 दिनांक 02.10.2010 के द्वारा नीति निर्धारित की गई है। जारी आज्ञा की छाया प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-क)

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रकाशपुरा ग्राम (मावली) में मोक्षधाम तक सड़क का निर्माण

100. **श्री दलीचन्द डांगी** (मावली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मावली के ग्राम प्रकाशपुरा से मोक्षधाम तक जाने वाला रास्ता काफी असुविधाजनक है?

(2) क्या सरकार बीआरजीएफ/निर्बन्ध योजना अथवा अन्य किसी योजना में इस रास्ते को पक्का कराने, रास्ते से कंटीली झाड़ियां साफ कराने तथा मोक्षधाम का विकास कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां विधान सभा क्षेत्र मावली के ग्राम प्रकाशपुरा से मोक्षधाम तक जाने वाला रास्ता असुविधाजनक है।

(2) जी हां। उक्त कार्य वर्ष 2015-16 की वार्षिक कार्य योजना में ले लिया गया है तथा निर्बन्ध मद की किस्त प्राप्त होते ही रास्ते को पक्का

(पंचायती राज मंत्री)

कराने, रास्ते से कंटीली झाड़ियां साफ कराने तथा मोक्षधाम का विकास कराने का कार्य स्वीकृत करवाकर पूर्ण करवा लिया जावेगा।

प्रश्न संख्या-101

(सूची से हटाया गया)

अलवर जिले में मेवात विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

102. **श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में मेवात विकास योजनान्तर्गत अलवर जिले को प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से विधान सभा क्षेत्रवार कितनी-कितनी राशि प्रतिवर्ष किस-किस कार्य के लिये स्वीकृत की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में मेवात विकास योजनान्तर्गत अलवर जिले में निम्न राशि स्वीकृत की गई

वर्ष	स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)
2013-2014	3517.79
2014-2015	3517.79

(2) जिले मे विधान सभा क्षेत्रवार वर्ष 2013-2014 व 2014-2015 में स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

विधान सभा क्षेत्रवार	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15 (राशि लाखों में)
1 रामगढ़	1082.20	585.08
2 किशनगढ़	72.00	626.97
3 तिजारा	849.00	350.21
4 अलवर ग्रामीण	415.38	459.31
5 मुण्डावर	19.00	138.74
6 कठूमर	26.00	143.40
7 लक्ष्मणगढ़	21.00	602.08

(ग्रामीण विकास मंत्री)

ऊपरोक्तानुसार विधान सभा क्षेत्रवार वर्षवार कार्यों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा लाइटों की खरीद में अनियमितता

103. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों द्वारा कौन-कौनसी कम्पनी का सौर ऊर्जा लाइटों की सप्लाई का टेण्डर पास किया गया व उक्त कम्पनियों को कितना-कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायतों द्वारा कम्पनी को निर्धारित दर से ज्यादा भुगतान किया गया है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों द्वारा निम्न कम्पनियों को सौर उर्जा लाइट की सप्लाई का टेण्डर पास कर भुगतान किया गया है

(पंचायत समिति किशनगंज)

क्र.सं.	नाम कम्पनी	कुल भुगतान राशि (रु.)
1	शिव ट्रेडिंग कम्पनी	90,65,000
2	मै. दुर्गा सेल्स एजेन्सी बारां	10,74,300
3	मै. बी.एम. ट्रेडर्स अटरू	44,19,250
4	अभिनव रिन्यूवल एनर्जी कम्पनी, भीलवाड़ा	4,90,000

(पंचायत समिति शाहबाद)

क्र.सं.	नाम कम्पनी	कुल भुगतान राशि (रु.)
1	मै. दुर्गा सेल्स एजेन्सी बारां	94,99,000
2	विनसेट एजेन्सी जयपुर	31,86,000
3	बालाजी ट्रेडर्स, बारां	42,14,000

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां। दोषियों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है। दोषियों से अब तक 31.90 लाख रुपये वसूल किये जा चुके हैं तथा शेष प्रकरणों में सिविल रिट याचिका संख्या 4072/2015 में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 18.05.2015 की पालना में सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बरणगांव ग्राम पंचायत (नागौर) में नरेगा कार्यों में अनियमितताओं की जांच

104. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बरणगांव पंचायत समिति व जिला नागौर के ग्राम बापौड़ में नरेगा के अन्तर्गत तालाब खुदाई का कार्य JCB मशीन द्वारा करवाया गया था? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नरेगा कार्य को JCB मशीन से कराये जाने की शिकायत जिला कलक्टर व सीईओ को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर जिला कलक्टर नागौर ने अलग-अलग जांचें करवाई थीं तथा एक विस्तृत जांच पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर करवाई थी? यदि हां, तो जांच समिति की रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जांच कमेटी ने उक्त नरेगा कार्यों को JCB मशीन से करवाना पाया था, जिसके बाद जिला कलक्टर नागौर के निर्देश पर एक FIR संख्या 163/15 सदर थाना नागौर में दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो FIR में अब तक की गई जांच व कार्यवाही की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त जांच कमेटी ने ग्राम पंचायत सरपंच व ग्राम सेवक को वित्तीय अनियमितताओं के लिए दोषी पाया था? यदि हां, तो सरपंच व ग्राम सेवक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माह मई 2015 के दौरान जे.सी.बी. से कार्य करवाया गया।

(2) जी हां। कमेटी का जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। एफ.आई.आर. की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। थानाधिकारी थाना सदर नागौर की नवीनतम अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार तालाब बारिश के पानी से भर चुका था। इसलिए घटना से सम्बन्धित आलामात व भौतिक सत्यापन बाबत किसी भी प्रकार की राय दी जानी सम्भव नहीं है तथा प्रगति रिपोर्ट पर अनुसंधान जारी है। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी हां। जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सेवक को वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी पाया गया। जिसके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 16 के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 1096 दिनांक 06.07.2015 द्वारा आरोप पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। सरपंच के विरुद्ध अन्तिम अनुसंधान रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पद

105. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रानी खुर्द व मारवाड़ जंक्शन में कनिष्ठ अभियन्ताओं के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को सुचारु रूप से चलाने के लिये रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के शहर मारवाड़ जंक्शन एवं रानी स्टेशन में सहायक अभियन्ता के उपखण्ड कार्यालय स्वीकृत हैं। इन

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उपखण्डों के अधीन कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्वीकृत क्रमशः 3 एवं 2, कुल 5 पदों में से प्रत्येक उपखण्ड में कनिष्ठ अभियन्ता का एक-एक पद (कुल दो पद) वर्तमान में रिक्त है। रिक्त 2 पदों का कार्यभार अन्य कनिष्ठ अभियन्ताओं को दिया जाकर सम्बन्धित पेयजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण का कार्य वर्तमान में कराया जा रहा है। स्वीकृत एवं रिक्त पदों सम्बन्धी पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त 824 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जाकर दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को परिणाम घोषित किया गया। परिणाम घोषणा उपरान्त 675 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदस्थापन आदेश (दिनांक 15 सितम्बर, 2015 की स्थिति अनुसार) जारी किये जा चुके हैं। शेष सफल कनिष्ठ अभियन्ताओं के दस्तावेजों एवं पुलिस प्रमाणीकरण की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जानी प्रस्तावित है।

परिशिष्ट–अ

विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के उपखण्ड मारवाड़ जंक्शन एवं रानी स्टेशन में कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्वीकृत, पदस्थापित एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	उपखण्ड कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता के पदों का विवरण			कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता का नाम	विशेष विवरण
			कुल स्वीकृत पद	पदस्थापित	रिक्त पद		
1.	मारवाड़ जंक्शन	मारवाड़ जंक्शन	1	1 (दिनांक 10.07.2015 से लगातार)	0	आकांक्षा सोनी	
2.		राणावास	1	0	1	-	अतिरिक्त कार्यभार कनिष्ठ अभियन्ता, जोजावर के पास है।

क्र. सं.	उपखण्ड कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता के पदों का विवरण			कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता का नाम	विशेष विवरण
			कुल स्वीकृत पद	पदस्थापित	रिक्त पद		
3.	मारवाड़ जंक्शन	जोजावर	1	1 (दिनांक 16.07.2015 से लगातार)	0	आकाश जाटव	
4.	रानी स्टेशन	रानी शहर	1	1 (दिनांक 17.07.2015 से लगातार)	0	पवन कुमार	
5.		रानी ग्रामीण	1	0	1	-	अतिरिक्त कार्यभार कनिष्ठ अभियन्ता, रानी शहर के पास है।
		कुल योग	5	3	2		

फुलेरा में बीसलपुर योजना से पेयजल की आपूर्ति

106. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के समस्त ग्रामों एवं कस्बों में बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो कब से व उक्त कार्य हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था और वर्तमान में कितना कार्य पूर्ण हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परियोजना से किन-किन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 4 कस्बे क्रमशः फुलेरा, साम्भर, नरैना व किशनगढ़-रेनवाल तथा 151 ग्राम सम्मिलित हैं। बीसलपुर परियोजना अन्तर्गत कस्बा फुलेरा, साम्भर एवं नरैना को पूर्व में ही लाभान्वित किया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के 151ग्रामों में से 45 गांवों को मुख्य पाइप लाइन (टी.एम.-प्रथम) के नरैना आफ टेक से लाभान्वित करने के कार्यों हेतु कार्यादेश मैसर्स विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, जोधपुर को दिनांक 03.05.2013 को राशि रुपये 52.46 करोड़ का जारी किया जाकर दिनांक 13.05.2013 को कार्य प्रारम्भ किया गया।

क्षेत्र के कस्बा किशनगढ़-रेनवाल व 106 गांवों को साम्भर पम्पिंग स्टेशन से लाभान्वित करने के कार्यों हेतु कार्यादेश मैसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई को दिनांक 15.07.2013 को राशि रुपये 226.95 करोड़ का जारी किया जाकर दिनांक 25.07.2013 को कार्य प्रारम्भ किया गया।

उक्त दोनों पैकेजों के कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 279.41 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(2) उक्त परियोजना के नरैना आफ टेक से 45 ग्रामों को कार्यादेश अनुसार दिनांक 12.11.2014 तक लाभान्वित करना निर्धारित था। इनमें से अब तक 43 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा शेष 2 ग्रामों को दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

साम्भर पम्पिंग स्टेशन से कस्बा किशनगढ़-रेनवाल एवं 106 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु प्रगतिरत परियोजना का लगभग 31 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्यादेश अनुसार कस्बा किशनगढ़-रेनवाल एवं उक्त ग्रामों को चरणबद्ध रूप से दिनांक 24.01.2016 तक लाभान्वित करना निर्धारित है।

(3) बीसलपुर परियोजना से अब तक उक्तानुसार लाभान्वित किये गये 43 एवं शेष लाभान्वित किये जाने वाले 108, इस प्रकार कुल 151 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में जीर्ण-शीर्ण पानी की लाइनों को बदलने की योजना

107. **श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुखराम विश्नोई)

(1) क्या यह सही है कि सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में वर्षों पूर्व डाली गई पानी की पाइप लाइन जगह-जगह से लीकेज है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी की पाइप लाइनों को बदलकर नई पाइप लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में 80 प्रतिशत जी.एल.आर. टंकिया पानी के अभाव में सूखी पड़ी हैं? यदि हां, तो सरकार अब कब तक उक्त गांवों में पानी सप्लाई करने का विचार रखती है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल वितरण वर्ष 1977 में प्रारम्भ किया गया था। समय-समय पर पाइप लाइनों में लीकेज होने पर समयबद्ध रूप से इनका संधारण कार्य तत्परता से कराया जाता है। नगरपालिका क्षेत्र सांचौर में विगत पांच वर्षों में डाली गई पाइप लाइनों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सांचौर में विभिन्न जल योजनाओं के अन्तर्गत कुल 744 भू-तल जलाशयों में से 393 भू-तल जलाशयों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इनमें से 118 नर्मदा नहर निर्माण के समय पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण, 30 अतिवृष्टि के कारण नहर क्षतिग्रस्त होने से, 52 अवैध जल सम्बन्धों के कारण, 69 जिला परिषद द्वारा सांसद/विधायक कोष के अन्तर्गत निर्मित जलाशयों को जोड़ने हेतु पाइप लाइनों की स्वीकृति प्रदान नहीं करने, 73 के जर्जर हो जाने के कारण अनुपयोगी होना एवं 9 जलाशय हेतु पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर होने के कारण जलापूर्ति बन्द है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लाजपत नगर, जयपुर में पेयजल लाइन डालने की योजना

108. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जेडीए द्वारा अनुमोदित कालोनी लाजपत नगर, जगतपुरा, जयपुर में पेयजल की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पूरणमल सैनी)

(2) क्या सरकार उक्त कालोनी में पेयजल हेतु पाइप लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लाजपत नगर कालोनी, जगतपुरा, जयपुर सहकारी समिति द्वारा विकसित एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कालोनी है। इस कालोनी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की आधारभूत संरचना तथा पेयजल वितरण तंत्र नहीं होने के कारण यह कालोनी विभागीय पेयजल योजना से नहीं जुड़ी है। इस कालोनी में कालोनी निवासियों द्वारा निजी स्तर पर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था है।

(2) वर्तमान में उक्त कालोनी में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु पाइप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जल उपलब्धता, तकनीकी उपादेयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार योजना प्रस्तावित कर इसकी स्वीकृति बाबत निर्णय लिया जायेगा।

गोगुन्दा के ग्राम उन्डीथल हेतु पेयजल योजना

109. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की उन्डीथल ग्राम पंचायत छाली हेतु पेयजल योजना किस योजना में स्वीकृत की गई? उक्त योजना के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई?

(2) उक्त योजना से पेयजल की सप्लाई कब की गई?

(3) उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति, गोगुन्दा की ग्राम पंचायत, छाली के दो ग्राम क्रमश: छाली एवं उन्डीथल तथा ग्राम पंचायत मादा के ग्राम मादा, इस प्रकार इन तीनों ग्रामों हेतु हैण्डपम्प योजना से परिवर्तित क्षेत्रीय जल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

एस.एल.एस.एस.सी. की 8वीं बैठक दिनांक 19.10.2012 द्वारा राशि रुपये 164.45 लाख की एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अन्तर्गत जारी की गई।

(2) योजना के कार्य पूर्ण किये जाकर तीनों ग्रामों में माह जनवरी, 2014 से दिनांक 25.07.2015 तक निरन्तर पेयजल आपूर्ति की गई।

(3) दिनांक 26.07.2015 से 28.07.2015 तक अतिवृष्टि के कारण उक्त योजना अन्तर्गत निर्मित दो खुले कुएं एवं स्विच बोर्ड रूम में पानी भर जाने के कारण इन तीनों ग्रामों में उक्त योजना से पेयजल आपूर्ति बंद है।

पेयजल समस्या के तात्कालिक समाधान के अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम छाली एवं मादा में निर्मित क्रमशः एक खुले कुएं एवं एक नलकूप को चालू कर तीनों ग्रामों में वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्राम छाली, उन्डीथल एवं मादा में स्थापित एवं क्रियाशील क्रमशः 12, 17 एवं 14 हैण्डपम्पों से भी पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

बहरोड़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन

110. **डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में 1 अप्रैल, 2014 से 31 जुलाई, 2015 तक वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये, कितने स्वीकृत हुये एवं कितने निरस्त हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशनधारियों को समय पर पेंशन नहीं मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कितनी व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पेंशनधारियों को समय पर पेंशन दिलाने हेतु कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में 1 अप्रैल, 2014 से 31 जुलाई, 2015 तक वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशन के प्राप्त, स्वीकृत तथा निरस्त आवेदनों का विवरण परिशिष्ट संख्या-1 पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशनधारियों से सम्बन्धित पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिलने की कोई शिकायत कोष/उपकोष कार्यालय स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है। पेंशन नियमित रूप से भिजवाई जा रही है।

(3) सभी पात्र पेंशनधारियों को नियमित रूप से पेंशन प्राप्त हो, इसके लिये सीधे लाभ अन्तरण (DBT) योजना एवं भामाशाह योजनान्तर्गत पेंशनरों के खुलवाये बैंक बचत खातों के माध्यम से पेंशन भुगतान हेतु निर्देश दिये गये हैं।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में 1 अप्रैल 2014 से 31 जुलाई, 2015 तक की स्थिति

क्र. सं.	नगरपालिका/ पंचायत समिति क्षेत्र	वृद्धावस्था पेंशन			विधवा पेंशन			विशेष योग्यजन पेंशन		
		प्राप्त	स्वीकृत	निरस्त	प्राप्त	स्वीकृत	निरस्त	प्राप्त	स्वीकृत	निरस्त
1	नगरपालिका बहरोड़	147	147	0	38	38	0	16	16	0
2	पंचायत समिति नीमराना	752	752	0	92	92	0	53	53	0
3	पंचायत समिति बहरोड़	1871	1871	0	389	389	0	152	152	0

प्रदेश में अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं शैक्षणिक सुधार पर व्यय राशि

111. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत दो वर्षों में अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं शैक्षणिक सुधार व विकास हेतु कोई राशि व्यय की है? यदि हां, तो किस-किस संस्था पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? क्या उक्त व्यय की गई राशि पुनः वसूल करने योग्य है अथवा नहीं? यदि वसूल करने योग्य है तो सरकार ने अब तक कुल कितनी राशि वसूल की व शेष राशि कब व किस तरह वसूल की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। गत दो वर्षों में अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं शैक्षणिक सुधार एवं विकास हेतु राशि व्यय की गई है। व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

आर्थिक सुधार एवं विकास हेतु :- राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा अल्पसंख्यकों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल राशि 3353.68 लाख रुपये एवं 2014-15 में 2165.00 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया था। निगम द्वारा ऋणियों से गत दो वर्ष में कुल राशि 7.46 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है वसूली के लिए ऋणी से प्राप्त पोस्टपैड चैकों को बैंकों में लगाया जाता है। एवं डिस्ओनर होने पर ऋणी को वकील द्वारा लीगल नोटिस भिजवाने के पश्चात कोर्ट केस किया जाकर शेष राशि वसूली की कार्यवाही की जाती है।

शैक्षणिक सुधार एवं विकास हेतु :- जी हां। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर द्वारा पंजीकृत मदरसों में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक सुधार एवं विकास हेतु वर्ष 2013-14 में रुपये 3112.35 लाख, 2014-15 में रुपये 4678.47 लाख व्यय हुए हैं। यह राशि मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में लगे शिक्षा सहयोगियों के मानदेय भुगतान के रूप में, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना में भवन निर्माण हेतु अनुदान देकर, राजीव गांधी विद्यार्थी डिजीटल योजना के तहत मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लैपटाप/पीसी टेवलेट वितरण करके और SPQEM योजना में मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

कराने हेतु मानदेय, मदरसों में कम्प्यूटर और शिक्षण सामग्री वितरण करने के रूप में व्यय की गई है। व्यय की गई राशि वसूल करने योग्य नहीं है।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में सीधे छात्रवृति भुगतान करने का प्रावधान है। अतः यह राशि किसी संस्था को नहीं देकर छात्र-छात्राओं को दी जाती है। वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 30,28,82,226/- एवं 2014-15 में राशि रुपये 40,94,01,055/- अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मैरिट कम मीन्स पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई। यह पूर्णतया अनुदानित राशि है, जिसे वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

करौली में देवनारायण योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि

112. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम ताली, डुकावली व गुडला के विद्यालयों में देवनारायण योजनान्तर्गत बजट आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना-कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम ताली, डुकावली में कोई विद्यालय स्वीकृत नहीं किया गया है। ग्राम गुडला में देवनारायण योजनान्तर्गत अगस्त 2013 में आवासीय विद्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई।

जैसलमेर में राशन डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

113. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में कितने राशन डीलर हैं? वर्ष 2010 से जुलाई, 2015 तक कितने राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं

(श्री छोटू सिंह)

कितनी शिकायतें सत्य पाई गईं व उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई तथा कितने राशन डीलरों के लाइसेंस निरस्त किये गये?

(2) उक्त अवधि में जिले में ए.पी.एल. के गेहूं का वितरण किन-किन राशन डीलरों द्वारा कितना किया गया? वर्षवार, राशन डीलरवार वितरण किये गये गेहूं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) खाद्य सुरक्षा योजना में किन-किन लोगों को शामिल किया गया है व इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? उक्त योजना में जिले के कितने ए.पी.एल. परिवार शामिल किये गये हैं तथा कितने वंचित हैं? चयन में क्या प्रक्रिया अपनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में 185 राशन डीलर हैं। वर्ष 2010 से आज तक कुल 87 राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 1 शिकायत सत्य पाई गई तथा उनके खिलाफ अभियोजन प्रकरण दर्ज कर उचित मूल्य दुकान का लाइसेन्स निरस्त किया गया।

(2) उक्त अवधि में जैसलमेर जिले में राशन डीलरों द्वारा ए.पी.एल. परिवारों को वितरित गेहूं का वर्षवार/राशन डीलरवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत दिनांक 19 अगस्त, 2015 को जारी अधिसूचना में निर्धारित मापदण्डानुसार चयनित व्यक्तियों को शामिल किया गया है। अधिसूचना दिनांक 19.08.2015 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

उक्त योजनान्तर्गत जैसलमेर जिले में कुल 128214 ए.पी.एल. परिवारों में से 52682 पात्र परिवारों को शामिल किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राशन डीलर द्वारा चुनाव लड़ने के नियम

114. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या प्रदेश में राशन डीलर रहते हुये कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश क्रमांक : एफ 97(26) खा.वि./सा.वि.प्र./2000 दिनांक 25.05.2005 के द्वारा जारी निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकान डीलर किसी पंचायत राज संस्था अथवा स्थानीय निकाय का सदस्य या लोक सेवक निर्वाचित हो जाता है, तो वह उचित मूल्य डीलर के पद पर नहीं रह सकता। आदेश दिनांक 25.05.2015 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

निरीक्षक ग्रेड-I से सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति

115. **श्री घनश्याम** (टोडाभीम) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गत दो वर्षों से निरीक्षक ग्रेड प्रथम से सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अब उक्त पदों पर पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की निरीक्षक ग्रेड-प्रथम से सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश के शीर्ष सहकारी बैंक में नाबार्ड के नियमों के तहत आडिट कराने की योजना

116. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों से प्रदेश में नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से चलने वाले शीर्ष बैंक (अपेक्स बैंक) एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा नाबार्ड के नियमों के विपरीत वार्षिक आडिट करवाने का प्रकरण सामने आया है? यदि हां, तो प्रकरण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) क्या सरकार अब नाबार्ड के नियमों के अनुसार आडिट कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) शीर्ष बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की आडिट राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत कराई जा रही है। तथापि नाबार्ड द्वारा बिन्दु विशेष पर जारी दिशा निर्देशों/सलाह को भी आडिट में सम्मिलित किया जाता है।

प्रदेश की वन चौकियों पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

117. **श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रदेश में वन चौकियां संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो कहां-कहां सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संचालित वन चौकियां स्वयं विभाग की जमीन पर न होने के कारण अस्तित्व खोती जा रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनके नाम से पट्टे जारी करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष लाखों रुपये व्यय करने के बाद भी सही देख-रेख के अभाव में वन चौकियों पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रदेश में 1604 चौकियां संचालित की जा रही हैं इनमें से 336 चौकी गैर वन भूमि पर हैं। संचालित की जा रही वन चौकियों की सूची पूर्ण विवरण सहित संलग्न परिशिष्ट-क पर है।

(वन मंत्री)

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या 1 में दर्शाये अनुसार 336 वन चौकी गैर वन भूमि पर हैं। गैर वन भूमि पर स्थित 9 चौकियों पर अतिक्रमण है तथा वन भूमि पर स्थित 3 चौकियों पर अतिक्रमण है। इसका विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है। गैर वन भूमि पर स्थापित वन चौकियों की भूमि आबंटन हेतु विभाग प्रयासरत है।

(3) विभाग की वन चौकियों में से केवल 12 वन चौकियों पर बिन्दु संख्या 2 में दर्शाये अनुसार अतिक्रमण है जिसका विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है। अतिक्रमित चौकियों के क्रम में अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ख पर अंकित है।

(4) वन चौकियों पर से अतिक्रमण हटाने बाबत विभाग प्रयासरत है। की जा रही कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ख पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर सम्भाग में वन्य जीव जनगणना के आंकड़े

118. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वन्यजीवों की गणना करवाई जाती है? यदि हां, तो जोधपुर मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव के अधीन आने वाले जिलों में विगत तीन वर्ष के वन्य जीव जनगणना के आंकड़ों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में कौन से वन्यजीव कम होते जा रहे हैं व इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर जू में नए वन्यजीव लाने हेतु अब तक क्या प्रयास किये गये व भविष्य में कौन-कौन से नये वन्यजीव आने की सम्भावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर द्वारा गत तीन वर्षों में कराई गई वन्यजीवों की गणना का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव जोधपुर अधीन जिलों के वन्यजीव मण्डलों में गत तीन वर्षों की वन्यजीव गणना रिपोर्ट के अनुसार जरख, कवर

(वन मंत्री)

बिज्जू, काला हिरण, चिंकारा, सेही, गोडावण, राजगिद्ध, गिद्ध, बर्डस आफ प्रे, मोर एवं सांडा की संख्या में परिशिष्ट क के अनुसार कमी हुई है, जो अप्रत्याशित नहीं है। वर्ष 2013 से 2015 की अवधि में प्रत्येक वर्ष, क्षेत्र में केवल उपलब्ध जल स्रोतों पर वन्यजीवों की गणना की गई। उक्त गणना से क्षेत्र में वन्यजीवों के प्राप्त आंकड़े अनुमानित हैं क्योंकि गणना के दिवस प्रत्येक वन्यजीव का जल स्रोत पर आना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। अत: वन्य जीवों की गणना के अनुमान में उतार-चढ़ाव लक्षित होता है।

(3) जोधपुर जू में बब्बर शेर (लायन) का जोड़ा, घड़ियाल, व सियार जोड़े को लाने के लिए अंतिम स्वीकृति केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा बाघ के जोड़े, जरख (हाइना), भालू, सेही, सांडा, पाटागोह, झाउ चूहा, लोमड़ी (कामन फाक्स), मरू बिल्ली (डेजर्ट केट) एवं जंगली बिल्ली (जंगल केट) प्राप्त करने हेतु अन्य जंतुआलयों से पत्र व्यवहार एवं सम्पर्क जारी है।

परिशिष्ट-क

मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) जोधपुर के अधीन जिलों (जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर) के वन्य जीव मण्डलों की

वन्य जीव गणना का विवरण

क्रम संख्या	वन्य जीव	वर्ष 2013	वर्ष 2014	वर्ष 2015
1	बघेरा	37	38	40
2	सियार/गीदड़	513	538	542
3	जरख	222	250	245
4	जंगली बिल्ली	240	338	400
5	मरु बिल्ली	22	82	159
6	लोमड़ी	94	247	387
7	मरु लोमड़ी	181	329	419
8	भेड़िया	2	7	9
9	भालू	282	301	326
10	बिज्जू छोटा	177	186	256
11	कबर बिज्जू	37	68	49

क्रम संख्या	वन्य जीव	वर्ष 2013	वर्ष 2014	वर्ष 2015
12	साम्भर	81	89	97
13	काला हिरण	2947	2336	2596
14	नीलगाय	2160	2523	2722
15	चिंकारा	10049	7177	7762
16	जंगली सूअर	879	1304	1792
17	सैही	334	355	346
18	गोडावण	44	40	13
19	राजीगिद्ध	09	05	05
20	गिद्ध	122	345	221
21	जंगली मुर्गा	1186	1633	1879
22	बर्डस आफ प्रे	186	554	368
23	मोर	5822	5108	5684
24	मगर	06	07	07
25	साण्डा	455	1160	887

प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण हेतु जारी योजनाएं

119. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़मेर जिले में उक्त योजनाओं के तहत गत पांच वर्षों में कितने श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत गठित भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा प्रदेश के निर्माण क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित करने की विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

1. हिताधिकारी की पुत्री अथवा महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना

2. हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना

3. शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना

4. प्रसूति सहायता योजना

5. गम्भीर बीमारी पर व्यय के पुनर्भरण की योजना

6. निजी आवास के ऋण पर आर्थिक सहायता/अनुदान योजना

7. मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना

8. एनपीएस-स्वावलम्बन पेंशन योजना

9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

10. कौशल शक्ति योजना-2014

11. सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना

12. साईकिल सहायता योजना (योजना वर्तमान में बंद कर दी गई है)

(2) बाड़मेर जिले में भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में 4876 हिताधिकारियों को लाभान्वित किया गया जिसका योजनावार विवरण निम्न प्रकार है :-

1.	विवाह सहायता योजना	-	634
2.	प्रसूति सहायता योजना	-	157
3.	शिक्षा सहायता योजना	-	1240
4.	मेधावी नगद पुरस्कार योजना	-	47
5.	साइकिल सहायता योजना	-	2728
6.	दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में तत्काल सहायता योजना)	-	03
7.	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना	-	67
	कुल	-	4876

विधान सभा क्षेत्रवार विवरण संधारित नहीं किया जाता है।

प्रदेश में बेरोजगार स्नातक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता

120. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के बेरोजगार स्नातक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है?

(2) प्रदेश में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितने युवा स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया? वर्षवार एवं जिलेवार दी गई कुल राशि सहित संख्या विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत योजनान्तर्गत पात्र बेरोजगार स्नातक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

(2) प्रदेश में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में 43055 युवा स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। वर्षवार एवं जिलेवार दी गई कुल राशि सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-क

वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 के तहत रोजगार कार्यालयों द्वारा लाभांवित आशार्थियों का तथा वितरित की गई राशि का जिलेवार विवरण

(राशि लाखों में)

रोजगार कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2015-16 (31 अगस्त, 2015 तक)	
	लाभांवित	वितरित राशि	लाभांवित	वितरित राशि
जयपुर	1196	186.4	780	26.38
सीकर	5195	362.21	2644	48.76
दौसा	2287	164.23	692	0
अलवर	1956	244.64	908	38.57
झुन्झुनूं	1904	217.34	609	34.87
जोधपुर	2528	110.94	341	46.3
जैसलमेर	183	16.28	80	4.86
बाड़मेर	331	20.84	99	0

रोजगार कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 201-15		वित्तीय वर्ष 2015-16 (31 अगस्त, 2015 तक)	
	लाभांवित	वितरित राशि	लाभांवित	वितरित राशि
पाली	372	46.4	157	10.97
सिरोही	656	44.17	188	21.63
जालोर	475	24.28	94	9.2
कोटा	622	85.08	223	27.77
बारां	195	57.58	91	0
बून्दी	812	67.16	169	8.37
झालावाड़	1131	82.42	295	0
उदयपुर	414	61.33	120	11.11
बांसवाड़ा	289	30.14	56	0
डूंगरपुर	349	51.01	107	0
राजसमन्द	462	32.56	147	7.53
प्रतापगढ़	1462	15.34	137	3.46
चित्तौड़गढ़	136	25.09	21	2.31
बीकानेर	701	103.27	149	17.02
चूरू	1589	143.41	522	34.33
श्रीगंगानगर	273	21.23	147	12.33
हनुमानगढ़	182	13.58	85	0
भरतपुर	1697	247.76	648	80.01
धौलपुर	1000	68.86	361	41.47
सवाई माधोपुर	894	59.75	388	6.8
करौली	739	53.73	277	10.53
अजमेर	178	34.39	42	0
भीलवाड़ा	136	18.98	30	0.03
नागौर	568	34.79	276	13.86
टोंक	826	133.78	434	21.65
महायोग	**31738**	**2878.97**	**11317**	**540.12**